

## पेंशन पी०पी०ओ० विवरण

क्रम सं०	कोषागार	पेंशनर का नाम सर्वश्री / श्रीमती	से०नि० पद	फाइल सं०	पी०पी०ओ० सं० एवं दिनांक	
					संख्या	दिनांक
1	कोषागार लखनऊ	अरुण कुमार शर्मा	उप मु०लेखाधिकारी	9061	4550	10-12-2018
2	कोषागार लखनऊ	हृदय नारायण श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	12487	4546	10-12-2018
3	कोषागार लखनऊ	किरण लता पत्नी स्व० चन्द्रा	मु० अभि०	6836	6058	14-01-2019
4	कोषागार लखनऊ	माधुरी कुमारी	लेखा लिपिक	10408	6320	21-01-2019
5	कोषागार लखनऊ	राधे मनण टण्डन	सहा० अभि०	8336	6330	22-01-2019
6	कोषागार लखनऊ	बिपिन बिहारी श्रीवास्तव	मु० अभि०	13473	6502	28-01-2019
7	कोषागार लखनऊ	राम नरेश अवस्थी	लेखाकार	12317	6522	29-01-2019
8	कोषागार लखनऊ	बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव	कम्प्यूटर-डाटा-पंचर कम प्रोग्रामर	7665	6553	29-01-2019
9	कोषागार लखनऊ	ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जियावन	चपरासी	7646	6529	29-01-2019
10	कोषागार लखनऊ	ललित मोहन नागर	अनुभाग अधि०	7666	5631	29-01-2019
11	कोषागार लखनऊ	राजेन्द्र प्रसाद कक्कड़	मु० अभि०	7678	6515	29-01-2019
12	कोषागार लखनऊ	योगिता सिंह पत्नी स्व० अवधेश प्रताप सिंह	सहायक जन सम्पर्क अधि०	9631	6514	29-01-2019
13	कोषागार लखनऊ	घसीटे	चपरासी	11826	6513	29-01-2019
14	कोषागार लखनऊ	स्वराज दास गुप्ता	अधि० अभि०	11208	6511	29-01-2019
15	कोषागार लखनऊ	सैयद दुर्रुल हसन रिजवी	अधि० अभि०	9180	6676	31-01-2019
16	कोषागार लखनऊ	गजेन्द्रपाल सिंह	मु० अभि०	5990	6678	31-01-2019
17	कोषागार लखनऊ	कृष्ण कुमार मिश्रा	उप मु०लेखाधिकारी	8042	6683	31-01-2019
18	कोषागार लखनऊ	सुरेन्द्र कुमार	मु० अभि०	12173	6691	31-01-2019

19	कोषागार लखनऊ	दशरथ सिंह	आशुलिपिक	12207	6692	31-01-2019
20	कोषागार लखनऊ	अब्दुल रब	समीक्षा अधिकारी	11968	6702	01-02-2019
21	कोषागार लखनऊ	शंकर सिंह	सहा० अभि०	12960	6721	01-02-2019
22	कोषागार लखनऊ	राधारानी पत्नी स्व० चिरंजी लाल	अधि० अभि०	6213	6704	01-02-2019
23	कोषागार लखनऊ	गंगा राम गुप्ता	सहा० लेखाधिकारी	12602	6703	01-02-2019
24	कोषागार लखनऊ	सुकुन्द्र पाल सिंह	अधी० अभि०	8468	6714	01-02-2019
25	कोषागार लखनऊ	बिमला सिंह पत्नी स्व रणबीर कुमार सिंह	प्रवर वर्ग सहायक	7751	6711	01-02-2019
26	कोषागार लखनऊ	लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सहा० अभि०	7752	6709	01-02-2019
27	कोषागार लखनऊ	कबीश चन्द्र रूदा	सहा० अभि०	11404	6708	01-02-2019
28	कोषागार लखनऊ	अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर अली	चपरासी	7781	6717	01-02-2019
29	कोषागार लखनऊ	कैलाश बिहारी माथुरा	मु० अभि०-1	6384	6722	01-02-2019
30	कोषागार लखनऊ	बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	12963	6724	01-02-2019
31	कोषागार लखनऊ	स्वारोचिश गुप्ता	अधि० अभि०	12257	6726	01-02-2019
32	कोषागार लखनऊ	दीपक चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० लेखाधिकारी	13659	6732	01-02-2019
33	कोषागार लखनऊ	भास्कर चन्द्र जोशी	अधी० अभि०	11509	6733	01-02-2019
34	कोषागार लखनऊ	गीता पत्नी सव० दुखीराम	जमादार	11539	6734	01-02-2019
35	कोषागार लखनऊ	राम सागर जायसवाल	वरि० लेखाधिकारी	12658	6737	01-02-2019
36	कोषागार लखनऊ	रंजीत सिंह अरोड़ा	सहा० अभि०	11518	6742	01-02-2019
37	कोषागार लखनऊ	शिवपाल सिंह	अधि० अभि०	7686	6744	01-02-2019
38	कोषागार लखनऊ	मोहम्मद अनीस	सहा० लेखाधिकारी	12293	6745	01-02-2019
39	कोषागार लखनऊ	सैयद सईद हैदर	अधि० अभि०	11843	6748	01-02-2019
40	कोषागार लखनऊ	बाल कृष्ण भट्ट	मु० अभि०	11513	6819	01-02-2019

41	कोषागार लखनऊ	प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी	लेखाधिकारी	7690	6805	02-02-2019
42	कोषागार लखनऊ	अबुल हसन अंसारी	मु० अभि०	7755	6802	02-02-2019
43	कोषागार लखनऊ	पुरुषोत्तम राम यादव	सहा० लेखाकार	12138	6797	02-02-2019
44	कोषागार लखनऊ	रज्जन लाल	संयुक्त सचिव	13025	6798	02-02-2019
45	कोषागार लखनऊ	सुभाष चन्द्र गोयल	उपमहाप्रबन्धक	11009	6793	02-02-2019
46	कोषागार लखनऊ	मो० नजमुल हसन सिददकी	वरि० कार्मिक अधि०	11576	6792	02-02-2019
47	कोषागार लखनऊ	रमेश कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	11530	6786	02-02-2019
48	कोषागार लखनऊ	पारस नाथ दुबे	चपरासी	12260	6784	02-02-2019
49	कोषागार लखनऊ	अनिरुद्ध सिंह	अधि० अभि०	12826	6783	02-02-2019
50	कोषागार लखनऊ	लल्लू	चपरासी	10000	6780	02-02-2019
51	कोषागार लखनऊ	जगदीश प्रसाद तिवारी	सुरक्षा प्रहरी	11584	6779	02-02-2019
52	कोषागार लखनऊ	लाल चन्द्र	मु० अभि०	11517	6775	02-02-2019
53	कोषागार लखनऊ	नन्द लाल	साइक्लेट आपरेटर	12154	6765	02-02-2019
54	कोषागार लखनऊ	आनन्द कुमार जैन	मु० अभि०	12238	6760	02-02-2019
55	कोषागार लखनऊ	जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम	जमादार	12278	6768	02-02-2019
56	कोषागार लखनऊ	मालती पत्नी स्व० होरी लाल	चपरासी	11594	6759	02-02-2019
57	कोषागार लखनऊ	बीरबल गुप्ता	सहा० अभि०	10583	6909	04-02-2019
58	कोषागार लखनऊ	शान्ती देवी पत्नी स्व० अच्छे लाल वर्मा	अधि० अभि०	10620	6908	04-02-2019
59	कोषागार लखनऊ	राम शंकर श्रीवास्तव	मु० अभि०	7017	6505	04-02-2019
60	कोषागार लखनऊ	नीलम शर्मा	टेलीफोन ऑपरेटर	10694	6902	04-02-2019
61	कोषागार लखनऊ	शब्बीर हसन	सहा० अभि०	10969	6964	05-02-2019
62	कोषागार लखनऊ	सुधा गोयल पत्नी स्व त्रिलोक चन्द्र गोयल	अधि० अभि०	6192	6957	05-02-2019

63	कोषागार लखनऊ	प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा	प्रशा० अधि०	6458	6955	05-02-2019
64	कोषागार लखनऊ	सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी	सहा० अभि०	11611	6942	05-02-2019
65	कोषागार लखनऊ	विजय कुमार	ए०सी० मैकनिक	8931	6943	05-02-2019
66	कोषागार लखनऊ	मुहम्मद अहमद	सहा० अभि०	11463	6938	05-02-2019
67	कोषागार लखनऊ	सुबीर मुखर्जी	लेखाकार	11080	6936	05-02-2019
68	कोषागार लखनऊ	राकेश कुमार श्रीवास्तव	अधी० अभि०	12454	6935	05-02-2019
69	कोषागार लखनऊ	अनिल कुमार गॉंधी	मु० अभि०	12935	6934	05-02-2019
70	कोषागार लखनऊ	प्रभात कुमार श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक	10646	6933	05-02-2019
71	कोषागार लखनऊ	नाहिद परवीन	लेखाकार	11683	6929	05-02-2019
72	कोषागार लखनऊ	नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह	चपरासी	10661	6928	05-02-2019
73	कोषागार लखनऊ	अमर बहादुर सिंह	लेखाकार	11910	6925	05-02-2019
74	कोषागार लखनऊ	सरोज कमल पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र कमल	समीक्षा अधिकारी	13348	6916	05-02-2019
75	कोषागार कानपुर	राम शरण	महाप्रबन्धक	8488	6501	28-01-2019
76	कोषागार कानपुर	अनिल कुमार सन्याल	सहा० अभि०	7669	6680	31-01-2019
77	कोषागार कानपुर	अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद	लेखालिपिक	12230	6677	31-01-2019
78	कोषागार कानपुर नगर	गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित	सहा० अभि०	9236	6713	01-02-2019
79	कोषागार कानपुर	प्रेम नारायण अवस्थी	अधि० अभि०	11523	6725	01-02-2019
80	कोषागार कानपुर	कन्हैया लाल गुप्ता	महाप्रबन्धक	9952	6730	01-02-2019
81	कोषागार कानपुर	विक्रम जंग बहादुर सिंह	अधी० अभि०	12204	6752	01-02-2019
82	कोषागार कानपुर	कमला मिश्रा पत्नी स्व० बन्नी मिश्रा	सहा० लेखाधिकारी	7785	6800	02-02-2019
83	कोषागार कानपुर	बृज मोहन लाल	प्रशा० अधि०	11386	6763	02-02-2019

84	कोषागार कानपुर	रमेश चन्द्र शर्मा	अधि० अभि०	10119	6967	05-02-2019
85	कोषागार कानपुर	शिप्रा भट्टाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद भट्टाचार्य	सहा० अभि०	05-02-2019	6963	05-02-2019
86	कोषागार कानपुर	कस्तूरी लाल अरोड़ा	सहा० अभि०	9550	6948	05-02-2019
87	कोषागार कानपुर	वीरेन्द्र सिंह	सहा० अभि०	12224	6947	05-02-2019
88	कोषागार गोरखपुर	राज बहादुर पाण्डेय	मु० अभि०	9359	6701	01-02-2019
89	कोषागार गोरखपुर	नरेश चन्द्र दास	सहा० लेखाकार	12690	6700	01-02-2019
90	कोषागार गोरखपुर	सत्य नारायण मौर्य	लेखाकार	8500	6718	01-02-2019
91	कोषागार गोरखपुर	कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय	सहा० अभि०	11710	6719	01-02-2019
92	कोषागार गोरखपुर	सत्य नारायण मौर्य	लेखाकार	8500	6718	01-02-2019
93	कोषागार गोरखपुर	शिव पूजन	सहा० अभि०	13838	6763	01-02-2019
94	कोषागार गोरखपुर	सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्णा मोहन सिंह	अधि० अभि०	12196	6747	01-02-2019
95	कोषागार गोरखपुर	केशव प्रसाद	सहा० अभि०	11005	6824	02-02-2019
96	कोषागार गोरखपुर	रामपति सिंह	अधि० अभि०	11846	6789	02-02-2019
97	कोषागार गोरखपुर	राम केवल	सहा० अभि०	8494	6815	02-02-2019
98	कोषागार गोरखपुर	जय प्रकाश नारायण	सहा० अभि०	12753	6812	02-02-2019
99	कोषागार गोरखपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० अभि०	12111	6781	02-02-2019
100	कोषागार गोरखपुर	हरिश्चन्द्र पाण्डेय	सहा० अभि०	12779	6771	02-02-2019
101	कोषागार गोरखपुर	कन्हैया प्रसाद जायसवाल	सहा० अभि०	12277	6769	02-02-2019
102	कोषागार गोरखपुर	राम आधार चौधरी	उपमहाप्रबन्धक	9064	6962	05-02-2019
103	कोषागार गोरखपुर	जय नारायण सिंह	सहा० अभि०	6868	6958	05-02-2019
104	कोषागार गोरखपुर	मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय	अधि० अभि०	10687	6923	05-02-2019
105	कोषागार गाजियाबाद	सतीश चन्द्र गुप्ता	अधी० अभि०	9541	6488	28-01-2019
106	कोषागार गाजियाबाद	राम सिंह	अधि० अभि०	11743	6530	29-01-2019
107	कोषागार गाजियाबाद	नरेन्द्र कुमार जैन	अधी० अभि०	8726	6687	31-01-2019

108	कोषागार गाजियाबाद	सावित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह	सहा० अभि०	10028	6757	01-02-2019
109	कोषागार गाजियाबाद	लक्ष्मी दत्त	सहा० अभि०	12281	6706	01-02-2019
110	कोषागार गाजियाबाद	ओम प्रकाश कच्छल	सहा० अभि०	9201	6755	01-02-2019
111	कोषागार गाजियाबाद	श्याम सुन्दर	सहा० अभि०	11511	6778	02-02-2019
112	कोषागार गाजियाबाद	महेश चन्द्र	सहा० अभि०	12846	6822	02-02-2019
113	कोषागार गाजियाबाद	श्याम कुमार कोहली	अधी० अभि०	13191	6788	02-02-2019
114	कोषागार गाजियाबाद	विजेन्द्र कुमार अग्रवाल	सहा० अभि०	10643	6903	04-01-2019
115	कोषागार गाजियाबाद	प्यारे लाल शर्मा	सहा० अभि०	10705	6954	05-02-2019
116	कोषागार गाजियाबाद	कमल कुमार शर्मा	सहा० अभि०	11879	6952	05-02-2019
117	कोषागार गाजियाबाद	विपीन बिहारी शर्मा	सहा० अभि०	13539	6951	05-02-2019
118	कोषागार गाजियाबाद	घनश्याम दास	सहा० अभि०	11763	6949	05-02-2019
119	कोषागार गाजियाबाद	राकेश कुमार जैन	उपमहाप्रबन्धक	10601	6930	05-02-2019
120	कोषागार अलीगढ़	तस्नीफ पत्नी स्व० मो० वसी अहमद	मु० अभि०	7494	6425	25-01-2019
121	कोषागार अलीगढ़	कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शफीका अहमद	अधी० अभि०	6032	6503	28-01-2019
122	कोषागार अलीगढ़	बिहारी लाल गुप्ता	सहा० अभि०	8069	6686	31-01-2019
123	कोषागार अलीगढ़	नौरंगी लाल	अधि० अभि०	12229	6684	31-01-2019
124	कोषागार अलीगढ़	युगनन्दन पाठक	सहा० अभि०	13586	6778	02-02-2019
125	कोषागार अलीगढ़	सूरज पाल सिंह चौहान	अधि० अभि०	13487	6907	04-02-2019
126	कोषागार अलीगढ़	सैयद साबिर अली	सहा० अभि०	10616	6906	04-02-2019
127	कोषागार अलीगढ़	चन्द्रप्रभा पत्नी स्व० भोजराज सिंह	सहा० अभि०	10584	6912	05-02-2019
128	कोषागार आगरा	योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	लेखाकार	13800	4339	06-12-2018
129	कोषागार आगरा	विष्णु दत्त उपाध्याय	अधि० अभि०	6982	6682	31-01-2019
130	कोषागार आगरा	बहादुर सिंह	अधि० अभि०	12242	6728	01-02-2019
131	कोषागार आगरा	ओमबीर सिंह	सहा० अभि०	13856	6750	01-02-2019

132	कोषागार आगरा	अनिल कुमार पालीवाल	अधि० अभि०	11528	6751	01-02-2019
133	कोषागार आगरा	देवकी नन्दन गुप्ता	सहा० अभि०	12284	6826	02-02-2019
134	कोषागार आगरा	ध्रुव चन्द्र	सहा० अभि०	10593	6823	02-02-2019
135	कोषागार आगरा	रमेश चन्द्र अग्रवाल	लेखाकार	10971	6807	02-02-2019
136	कोषागार आगरा	दिनेश चन्द्र शर्मा	सहा० अभि०	13105	6795	02-02-2019
137	कोषागार आगरा	गया प्रसाद	सहा० अभि०	12184	6790	02-02-2019
138	कोषागार आगरा	फूल सिंह	सहा० अभि०	12232	6787	02-02-2019
139	कोषागार आगरा	राजपाल सिंह	लेखाकार	13762	6960	05-02-2019
140	कोषागार आगरा	राजेन्द्र कुमार वशिष्ठ	सहा० अभि०	10586	6921	05-02-2019
141	कोषागार आगरा	शैलेन्द्र कुमार माथुर	अधि० अभि०	11488	6920	05-02-2019
142	कोषागार मथुरा	बृज भूषण भाटिया	अधि० अभि०	11307	6685	31-01-2019
143	कोषागार मथुरा	बॉके लाल चतुर्वेदी	वरि० सहा० अभि०	7975	6740	01-02-2019
144	कोषागार बरेली	जगदीश चन्द्र	सहा० अभि०	12228	6679	31-01-2019
145	कोषागार बरेली	दिनेश बहादुर सक्सेना	सहा० अभि०	9109	6705	01-02-2019
146	कोषागार बरेली	वीरेन्द्र नाथ शर्मा	अधि० अभि०	12288	6735	01-02-2019
147	कोषागार बरेली	सुरेश बिहारी माथुर	सहा० अभि०	7658	6801	02-02-2019
148	कोषागार बरेली	गोपाल नन्द भटनागर	लेखाकार	8030	6959	05-02-2019
149	कोषागार जौनपुर	भोला नाथ सिंह	सहा० अभि०	10585	6922	05-02-2019
150	कोषागार वाराणसी	रमा शंकर राय	सहा० अभि०	8323	6674	31-01-2019
151	कोषागार वाराणसी	मंजू सिंह पत्नी स्व० लल्लन सिंह	अधि० अभि०	7694	6712	01-02-2019
152	कोषागार वाराणसी	कालिका सिंह	सहा० अभि०	7760	6710	01-02-2019
153	कोषागार वाराणसी	नौरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू	अधि० अभि०	11585	6738	01-02-2019
154	कोषागार वाराणसी	दीनानाथ चौरसिया	सहा० अभि०	9308	6753	01-02-2019
155	कोषागार वाराणसी	कृष्ण गोपाल	मु० महा०	11045	6808	01-02-2019
156	कोषागार वाराणसी	गुलाब प्रसाद	सहा० अभि०	12261	6785	02-02-2019
157	कोषागार वाराणसी	कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० त्रिवेणी प्रसाद	व्यैक्तिक सहा०	6268	6968	05-02-2019

158	कोषागार वाराणसी	रामबचन सिंह यादव	सहा० अभि०	11390	6950	05-02-2019
159	कोषागार वाराणसी	वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा	सहा० अभि०	13287	6945	05-02-2019
160	कोषागार वाराणसी	वीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास बिहारी दास अग्रवाल	अधी० अभि०	11506	6941	05-02-2019
161	कोषागार वाराणसी	हरिनन्दन राम यादव	सहा० अभि०	12080	6940	05-02-2019
162	कोषागार वाराणसी	लीला मिश्रा पत्नी स्व० चन्द्र भूषण मिश्र	सहा० अभि०	8970	6931	05-02-2019
163	कोषागार वाराणसी	मोहन राम	सहा० अभि०	11452	6942	05-02-2019
164	कोषागार इलाहाबाद	मनमोहन सिंह	अधि० अभि०	12633	6536	29-01-2019
165	कोषागार इलाहाबाद	प्रताप नारायण मेहरोत्रा	अधि० अभि०	7705	6688	31-01-2019
166	कोषागार इलाहाबाद	जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० महेन्द्र नारायण पाण्डेय	लेखा लिपिक	12245	6927	01-02-2019
167	कोषागार इलाहाबाद	सुमन खन्ना पत्नी स्व० श्रीनाथ खन्ना	सहा० अभि०	11515	6818	02-02-2019
168	कोषागार इलाहाबाद	नसीमुददीन	सहा० अभि०	12029	6794	02-02-2019
169	कोषागार इलाहाबाद	माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र घर द्विवेदी	सहा० अभि०	11574	6791	02-02-2019
170	कोषागार इलाहाबाद	राजेश सिंह चौहान	सहा० अभि०	12254	6767	02-02-2019
171	कोषागार इलाहाबाद	वीरेन्द्र कुमार कपूर	सहा० अभि०	12227	6764	02-02-2019
172	कोषागार इलाहाबाद	हरिश्चन्द्र सिंह	मु० महा०	10619	6932	05-02-2019
173	कोषागार प्रयागराज	चौधरी अनीस उज्जमा	सहा० अभि०	10606	6919	05-02-2019
174	कोषागार बुलन्दशहर	नानक चन्द्र	अधि० अभि०	11222	6813	02-02-2019
175	कोषागार बुलन्दशहर	सुधीर गुप्ता	अधि० अभि०	12091	6939	05-02-2019
176	कोषागार बुलन्दशहर	प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रनवीर सिंह	अधि० अभि०	7784	6965	05-02-2019
177	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राकेश सक्सेना	अधी० अभि०	13007	6675	31-01-2019
178	कोषागार नोएडा	विशेशवर लाल मल्होत्रा	मु० अभि०	7783	6809	02-02-2019
179	कोषागार गौतमबुद्धनगर	कृष्ण कुमार अरोरा	सहा० अधिकारी	9204	6966	05-02-2019



180	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राकेश चन्द्र	सहा० लेखाधिकारी	12185	6937	05-02-2019
181	कोषागार महाराजगंज	राज किशोर प्रसाद	उप मु०लेखाधिकारी	6777	8409	02-02-2019
182	कोषागार महाराजगंज	बनारसी लाल	लेखाकार	11542	6820	02-02-2019
183	कोषागार हापुड़	वीरेन्द्र कुमार	लेखाकार	8190	6694	31-01-2019
184	कोषागार हापुड़	स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल	लेखाकार	8800	6741	01-02-2019
185	कोषागार हापुड़	गोपाल प्रसाद गर्ग	सहा० अभि०	12389	6756	02-01-2019
186	कोषागार मेरठ	भुवेन्द्र झा	सहा० लेखाधिकारी	7607	6731	01-02-2019
187	कोषागार मेरठ	प्रदीप कुमार	अधि० अभि०	12147	6743	01-02-2019
188	कोषागार मेरठ	रमेश चन्द्र	महाप्रबन्धक	10287	6827	02-02-2019
189	कोषागार मेरठ	अरविन्द कुमार सिंघल	उपमहाप्रबन्धक	10614	6927	05-02-2019
190	कोषागार मुरादाबाद	सुरेश चन्द्रा	लेखाकार	12223	6723	01-02-2019
191	कोषागार मुरादाबाद	राम चन्द्र	अधि० अभि०	11510	6770	02-02-2019
192	कोषागार मुरादाबाद	विजय पाल सिंह	अधि० अभि०	12258	6782	02-02-2019
193	कोषागार बिजनौर	ओम प्रकाश सिंह	सहा० अभि०	7683	6681	31-01-2019
194	कोषागार बिजनौर	प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त	लेखाकार	11514	6772	02-02-2019
195	कोषागार बिजनौर	मंगूलाल भारद्वाज	सहा० अभि०	8482	6767	02-02-2019
196	कोषागार बिजनौर	प्रवाला वर्मा पत्नी स्व० राम किशोर	सहा० अभि०	10587	6904	04-02-2019
197	कोषागार फैजाबाद	जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय	लेखाकार	9876	6720	01-02-2019
198	कोषागार फैजाबाद	श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र बहादुर दुबे	लेखाकार	12239	6782	02-02-2019
199	कोषागार फैजाबाद	पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह	अधि० अभि०	11482	6946	05-02-2019
200	कोषागार झॉंसी	शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवराम	लेखाधिकारी	7734	6689	31-01-2019
201	कोषागार झॉंसी	अशोक कुमार	सहा० अभि०	13441	6729	01-02-2019

202	कोषागार झॉंसी	शान्ती स्वरूप शर्मा	महाप्रबन्धक	10951	6816	02-02-2019
203	कोषागार मिर्जापुर	दीप नारायण दूबे	अधि० अभि०	11400	6618	31-01-2019
204	कोषागार फर्रुखाबाद	महेश कुमार मिश्रा	सहा० अभि०	10689	6541	29-01-2019
205	कोषागार फर्रुखाबाद	जय कुर्वर सिंह	सहा० अभि०	12287	6746	01-02-2019
206	कोषागार आजमगढ़	अब्दुल वाहिद अंसारी	सहा० अभि०	11587	6776	02-02-2019
207	कोषागार आजमगढ़	राम चन्द्र यादव	सहा० अभि०	10407	6810	02-02-2019
208	कोषागार सहारनपुर	योगेश दत्त शर्मा	अधि० अभि०	12259	6806	02-02-2019
209	कोषागार गोण्डा	तौकीर हसन खान	सहा० अभि०	8431	6715	01-02-2019
210	कोषागार बस्ती	नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर	लेखाकार	9103	6241	18-01-2019
211	कोषागार मथुरा	सत्य प्रकाश चतुर्वेदी	सहा० अभि०	11519	6774	02-02-2019
212	कोषागार बलरामपुर	विनोद कुमार सिंह	सहा० अभि०	11713	6707	01-02-2019
213	कोषागार सोनभद्र	सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम	सहा० अभि०	9143	6426	25-01-2019
214	कोषागार कासगंज	अनिल कुमार शर्मा	सहा० लेखाधिकारी	11601	6693	31-01-2019
215	कोषागार मऊ नाथ भंजन	शबीर हसन कुरैशी	सहा० अभि०	7782	6716	01-02-2019
216	कोषागार रामपुर	सुरेन्द्र कुमार अरोरा	सहा० अभि०	12240	6821	02-02-2019
217	कोषागार अमरोहा	परम सिंह	सहा० अभि०	11512	6739	01-02-2019
218	कोषागार भदोही	बहादुर त्रिपाठी	सहा० अभि०	11052	6805	02-02-2019
219	कोषागार इटावा	शिव दत्त तिवारी	सहा० अभि०	7786	6814	02-02-2019
220	कोषागार बदायूँ	सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना	लेखाकार	7737	6811	02-02-2019
221	कोषागार सम्भल	सुरेश चन्द्र गुप्ता	सहा० अभि०	11524	6797	02-02-2019
222	कोषागार बाराबंकी	मुंशी लाल बाजपेई	लेखाकार	11970	6961	05-02-2019
223	कोषागार उन्नाव	स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री	लेखाधिकारी	7775	6762	02-02-2019
224	कोषागार मुजफ्फरनगर	बालेश्वर दयाल	लेखाकार	6926	10596	05-02-2019

225	कोषागार सुल्तानपुर	रीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी	सहा० लेखाधिकारी	10653	6918	05-02-2019
-----	--------------------	------------------------------------------	-----------------	-------	------	------------



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(निर्गम) (सरकार) का (उपकरण)



पत्र सं०-4339 / उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

13800 / 15-16

दिनांक-06.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6844	18.08.2015
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1955	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा कुलश्रेष्ठ	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.06.1964	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2015	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP 6600 wef. 05-11-2011	
(घ)	वेतन	Rs. 35,540.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 17770.00 wef. 15-01-2018	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,838.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,932.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 17770.00 upto 14-07-2022	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 10,662.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 93,800.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 46,900.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	46900 wef. 15-01-2018	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,838.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	40062 wef. 15-01-2018	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	46900 upto 14-07-2022 (तत्क)	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 28,140.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-4339 / उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 13800 / 15-16

तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपमहाप्रबन्धक (वि०ले०स०), दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, 220 कें०वी० विद्युत उपकेन्द्र, सिकन्दरा, बाई पास रोड आगरा।

2. श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-19 प्रेम विहार, शीतला घाट कालोनी, दयाल बाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०-4339 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

13800 / 15-16

दिनांक-06.12.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6844	18.08.2015
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1955	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा कुलश्रेष्ठ	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.06.1964	
2.(क)	सेवानिवृत्त / दिवंगत तिथि	31.07.2015	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP 5400	
(घ)	वेतन	Rs. 34,190.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 17,095.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,838.00	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,257.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17095 upto 14.07.20	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 10,257.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 90,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 45,000.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	45000 wef 01.01.2016 to 14.01.2018	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,838.00	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 38,162.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27000	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 13800 / 15-16

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपमहाप्रबन्धक (फिलेडि०स०), दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, 220 क०वी० विद्युत उपकेन्द्र, सिकन्दरा, बाई पास रोड आगरा।
2. श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-19 प्रेम विहार, शीतला धाम कालोनी, दयाल बाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
द्वारा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० वेबसाइट  
शक्ति भवन, लखनऊ




उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

पता: 288/92, आर्यनगर, ट्यूबवेल पार्क, लखनऊ

फोन: 288/92, 288/92, 288/92



पत्र सं०-4550/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9061/01-02

दिनांक : 10.12.2018

कोषाधिकारी,

आर्दश कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1748	20.03.2002
(ग)	जन्मतिथि	03.02.1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्र कला शर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.11.1945	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2002	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00	
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	24295 wef. 20.07.2010	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3258 पुनर्स्थापित 03.05.2017	
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,037.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	3258 पुनर्स्थापित 03.05.2017	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,292 wef. 01.01.16 to 02.05.2017 तदुपरान्त रु 69,550	
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4550/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9061/01-02

तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री अरुण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-288/92, आर्यनगर, ट्यूबवेल पार्क, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०-4546 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

12487 / 11-12

दिनांक-10/12/2018

कोषाधिकारी,

आर्दश कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०सख्या एवं दिनांक	5347 12.07.2011
(ग)	जन्मतिथि	13.05.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.06.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 Grade Pay 8700
(घ)	वेतन	Rs. 62,220.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 31,110.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,444.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,666.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,666.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,60,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,300.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,300.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,444.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 67,856.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204 के अनुसार)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,180.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 12487 / 11-12

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता-क्यू/180, मोहल्ला गुलरिया, गार्दा, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SCC024928



पत्र सं०

6836

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती किरन लता पत्नी स्व० श्री चन्द्रा सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9056	दिनांक	31.10.1992
(ग)	जन्मतिथि			1/0/1900
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती किरन लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			03-08-1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-07-1992/23-01-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		6700-7500/21350-23975/63000-78000	
(घ)	वेतन	₹		7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		171,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6058

6836 92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 14/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

श्रीमती किरन लता पत्नी स्व० श्री चन्द्रा, मुख्य अभियन्ता पता 21/444, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)






उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: 13220109199950024928



पत्र सं०

9103

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बस्ती

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1822	दिनांक 17-05-2002
(ग)	जन्मतिथि		30.04.2009
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नसीम फात्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.04.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2002/29.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		14300-18300
(घ)	वेतन	₹	16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		लागू नहीं

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6241

9103

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, बस्ती।

2. श्रीमती नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता:-मु० पठान टोला, पोस्ट० पुरानी बस्ती, जिला बस्ती।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बस्ती को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6320  
कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

10408

2005-2006 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21/11/19

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी कपूर

सेवानिवृत्त

लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3129 दिनांक 16-06-2005	
(ग) जन्मतिथि		15.05.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000/ग्रेड-पे-4200
(घ) वेतन	₹	6200
(ङ) मूल पेंशन	₹	3890
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	828
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	3062
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		30 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 बी० तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	41400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	20700
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	9410
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	18400
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	18400
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	18400
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	828
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	17572
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6320

10408

2005-2006 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।  
श्रीमती माधुरी कपूर सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पता-बी-1/144 रोक्टर-जी अलीगंज लखनऊ।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

The Government of Uttar Pradesh

पेंशन PENSION CIN/02220/0P/1995GC02/4928



पत्र सं०

6330

8336

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे रमण टण्डन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1103 दिनांक 07-08-2000
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधु टण्डन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित दि० 04.09.2015
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1.35.000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 40500
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 67500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित दि० 04.09.2015
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ 67500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6330

8336

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राधे रमण टण्डन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सेक्टर-के०-578, आशियाना कालोनी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती तरनीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी पारिवारिक मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अहमद

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	185	दिनांक 22-11-1996
(ग)	जन्मतिथि	14.07.1938	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती तरनीफ बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.02.1942
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1996 / 22.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5900-7100 / 18400-22400	(37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन		19,400
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी अलीगढ
2. श्रीमती तरनीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी अहमद से०नि० मुख्य अभियन्ता पता 4/226 साहब बाग अनूप शहर, रोड अलीगढ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मीता

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9143

2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
सोनमद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक
(क)	पेंशन का प्रकार	2038	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		29.10.2002
(ग)	जन्मतिथि		अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनीता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.09.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		10.05.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		8550-13500/15600-39100 ग्रेड पे-5400
(घ)	वेतन	₹	9650
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6544
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		24 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	61300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6426

9143

2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा (सोनमद)।

2 श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-120, कालकाजी, डी०डी०ए० प्लैट, नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

सोनमद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक नो. 25/1/19

स्थापित करण्डितान प्राप्त करे हेतु पत्रांक एवं

अधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9541

2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

28.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2263	दिनांक 23-06-2003
(ग)	जन्मतिथि		29.05.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उमा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.10.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4135
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23215
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4135
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	77015/-दि० 22.09.2018 तक 81150/-दि० 23.09.2018 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6488

9541

2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिधर्मचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-ए-183 नेहरू नगर, गाजियाबाद।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक 25/1/19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का स्थापना)

भारत सरकार, नया दिल्ली

विद्युत वितरण विभाग

कानपुर



पत्र सं०

8488

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 28.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शरण

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1200 दिनांक 07-11-2000
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जगदेवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.04.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975/37000-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4648
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26852
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 93650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 93650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4648
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ ₹ 89002/- दि० 09.01.2016 तक तदुपरान्त ₹ 89002/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6501

8488

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्री राम शरण, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-दरबारी मकान 24, डब्लू-2, बर्बा बाई पास रोड, नियर अंजलि हस्पिटल दमोदर नगर, बर्बा कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

₹ 89002/- दि० 09.01.2016 तक तदुपरान्त ₹ 89002/-

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उत्प्रेरित पावर कारपोरेशन लि०

(संयुक्त संसदीय क० संसद)

संयुक्त संसदीय क० संसद



पत्र सं०

13473

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25-01-14

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6474 दिनांक 06-06-2014
(ग)	जन्मतिथि	03.05.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.09.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 38500/- दि० 02.05.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 99800/- दि० 02.05.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6502

13473

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-17/9, राणा पताप मार्ग, हाइडिल कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

M. V. Sharma  
23/1/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ती)

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



पत्र सं०

6032

1986-1987

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

28/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शाफीका सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6790 दिनांक 06-07-1989
(ग)	जन्मतिथि	07.07.1930
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमर जहाँ बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1935
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	14.08.1984
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 5,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	53 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 01.01.18 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 7866/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6504 6503

6032

1986-1987

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।

2 श्रीमती कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शाफीका अहमद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-4-24 न्यू कालोनी कासिमपुर पावर हाउस अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7017

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शंकर श्रीवास्तव अधिवर्षता मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
स्तर-प्रथम

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9329	दिनांक 06-08-1993
(ग)	जन्मतिथि	19.02.1935	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शीला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28-02-1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000	
(घ)	वेतन		7,500
(ङ)	मूल पेंशन		37,800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		22680
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	15
(ख)	निर्धारित वेतन		1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		85,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		85,700
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 85700 = 20 % अतिरिक्त 17140		102840 दिनांक 01.01.2016 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6505

7017

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राम शंकर श्रीवास्तव से०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता म०न० 90 रोक्टर 13 इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date 23/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

शांति



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11208

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 29.1.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय - कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं० 777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वराज दास गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशारी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्धता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3958

दिनांक

14.03.2007

(ग) जन्मतिथि

05.10.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुधा गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

10.07.1949

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठे वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

65,630

(ङ) मूल पेंशन

₹

32,815

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

11,374

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21,441

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19,689

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,72,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

86,100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

86,100

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

11,374

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युक्त है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

74,726

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51,660

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगलन वर्धमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा, दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6511

11208 06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री स्वराज दास गुप्ता, अधिशारी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 6/1040, जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ 226021

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ती सम्पत्ति

मुगलन प्राप्त करें।

3. अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11826

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 29.1.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री घसीटे

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4732	दिनांक	11.01.2010	
(ग)	जन्मतिथि			05.10.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती महजबी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				01.07.1955
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			5300-8600/9300-34800 GP.4200	
(घ)	वेतन	₹			18,990
(ङ)	मूल पेंशन	₹			9,495
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			3,356
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			6,139
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			5,697
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			06 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			49,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			24,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹			24,700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			3,356
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹			21,344
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			14,820
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6513

11826 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री घसीटे, चपरासी सेवानिवृत्त, पता-मकान नं० 72, प्रकाश लोक कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक

दिनांक के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित/पुनर् भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

पंजीकृत: NSIC/Reg.Nr.13220/HR/1998/5024978



पत्र सं०

9631

03-04

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती योगिता सिंह पत्नी स्व० अक्वदेश पारिवारिक सहायक जन का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
प्रताप सिंह सम्पर्क अधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	पारिवारिक	
(क) पेंशन का प्रकार		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2334	दिनांक 27-08-2003
(ग) जन्मतिथि		02.02.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती योगिता सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.11.1960
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		06.05.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		6500-11000 (9300-34800 ग्रेड पे 4800)
(घ) वेतन		9,900
(ङ) मूल पेंशन		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		6713
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		43 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	08
(ख) निर्धारित वेतन		60,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		30,200
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		18120
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6514

9631

03-04

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती योगिता सिंह पत्नी स्व० अक्वदेश प्रताप सिंह, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, पता एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)




उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

REGD. OFFICE: 11/32/01/UP/1995/SG-1/228



पत्र सं०

7678

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद कक्कड अधिवर्षता मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। स्तर-प्रथम

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	359	दिनांक 18-10-1997
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशी कक्कड
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.07.1943
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000	
(घ)	वेतन		22,925
(ङ)	मूल पेंशन		31,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	15
(ख)	निर्धारित वेतन		1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		"
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		90,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		90,900
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 90900 का		18180 दिनांक 01.09.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6515

7678

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद कक्कड से०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता 9/514 इन्दिरा नगर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UOP Power Corporation Limited

UOP Power Corporation Limited

पुनरीक्षण सं० १२०१०२९९६००७४२६



पत्र सं०

12317 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 29/1/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नरेश अवस्थी सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5142	दिनांक	22.01.2011
(ग)	जन्मतिथि			10.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्पा अवस्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01-01-1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		60,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11788
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18412
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			30200 दि० 09.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18120
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		77950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11788
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66162
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		77950 दि० 09.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6.522

12317 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री राम नरेश अवस्थी, लेखाकार सेवानिवृत्त पता एम०एम० 4/113, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ  
लखनऊको प्रेषित पत्रांक दिनांक  
करे।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7646

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जियावन सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	307 दिनांक 15-07-1997
(ग)	जन्मतिथि	16.02.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्ञानवती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1997 / 25.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/देतन बैड (ग्रेड पे)	5300-8600 / 9300-34800 ग्रेड-पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 5450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4218
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 37900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 18950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 11370
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6529

7646

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

उपरोक्त अगियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जियावन, सेवानिवृत्त, चपरासी पता-4/39, संजय गाँधी नगर, प्रयाग नारायण रोड, बालू अड्डा, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ  
कोषागार,

को प्रेषित पत्रांक दिनांक  
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

29/11/19  
के सापेक्ष सम्पर्क

3 उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11743

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

29/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5085 दिनांक 25.11.2010
(ग)	जन्मतिथि	05.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीती माया देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठें वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29,290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10,270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,020
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17,574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 76,000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10,270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65,730
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45,600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6530

11743 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री राम सिंह, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता आर 9/26, राजनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7666

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ललित मोहन नागर

सेवानिवृत्त

अनुभाग  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	294	दिनांक	03.06.1997
(ग)	जन्मतिथि			02.05.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती वीणा नागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			24.09.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			14300-18300
(घ)	वेतन	₹		15100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		123100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6531

7666

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री ललित मोहन नागर, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-सुन्दर सदन-187, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श  
कोषागार,

लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क  
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7665

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 29/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार सेवानिवृत्त श्रीवास्तव

कम्प्यूटर-डाटा  
1-पंचर कम  
प्रोग्रामर का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	कम्प्यूटर-डाटा प्रोग्रामर	पारिवारिक
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	309	दिनांक 23.07.1997
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1963
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बिन्दु श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.09.1966
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		12.07.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		5200-20200 ग्रेड-पे-3000
(घ)	वेतन	₹	5375
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	3644
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		13 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	05 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	33500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	16750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	10050

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6533

7665

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर-डाटा-पंचर कम प्रोग्रामर, पता-450, सेक्टर-6, विकास नगर एस०ओ०, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श  
कोषागार,

लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क  
स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

REGISTRATION NO. U22201UP1999SG024726



पत्र सं०

12633

11-12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निरगत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मनमोहन सिंह

अधिवर्षता

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5479 दिनांक	24-10-2011
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.06.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे	10000
(घ)	वेतन		73,880
(ङ)	मूल पेंशन		36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	14776 पुर्नस्थापित दिनांक	24.01.2027
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36940 दिनांक	28.02.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		96,900
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		दिनांक 28.02.2018 से 96900
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6536

12633

11-12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29-01-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन इलाहाबाद
2. श्री मनमोहन सिंह, से०नि० अधिशाली अभियन्ता, पता द्वारा राजेश सिंह, 338 ई०डब्ल्यू०एम०, प्रतिमनगर, धूमनगंज, इलाहाबाद
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, इलाहाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपकरण)

विद्युत वितरण विभाग, फर्रुखाबाद

पता-1/5 दाल मण्डी, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद



पत्र सं०

10689

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

29.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

फर्रुखाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3406	31-01-2006	
(ग)	जन्मतिथि			08.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सरोज मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.01.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवां वेतनामान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6541

10689

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।
2. श्री महेश कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/5 दाल मण्डी, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फर्रुखाबाद। को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8323

1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमा शंकर राय

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से  
पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	1039 दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1039 दिनांक	09.06.2000
(ग)	जन्मतिथि		09.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुरातो देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.11.1942
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	191100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	135000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6674

8323

1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमौवल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
2. श्री रमा शंकर राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-33/58 सी-2 बी०, छित्तपुर बजरंग नगर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

31/1/19

के सापेक्ष सम्पर्क  
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० नगर कोषाधिकारी)

गौतमबुद्धनगर



पत्र सं०

13007

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश सक्सेना

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6001 दिनांक 02-03-2013
(ग)	जन्मतिथि	01.12.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुमकुम सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.06.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 38500/-दि० 30.11.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 99800/-दि० 30.11.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ अग्रतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6675

13007

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2 श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-पी०-279, सैक्टर-21, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

MAKESH SAKSENA  
31/1/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION AIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9180

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद दुर्लुल हसन रिजवी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिर्वर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2043 दिनांक 31.10.2002
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रुखसार फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.08.48
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.02
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 81150
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4000 (पुनर्स्थापित 23.01.18)
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 77150 दि० 01.01.16 से 22.01.16 तक तदुपरान्त 81150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6676

9180

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री सैयद दुर्लुल हसन रिजवी, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 450/36ख/20 झाकड़ बाग, नियर हैदरी मस्जिद, मुफतीगंज, लखनऊ-206003  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक

कोषाधिकारी

कोषाधिकारी

कोषाधिकारी

कोषाधिकारी





उ०प्र० मानव कालपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकारी कोषागार)

Human Resource Corporation Limited

Government of India

पुनर्विद्युत वितरण निगम लि०



पत्र सं०

12230

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक सेवानिवृत्त लेखालिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अहमद

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	5122	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		04-01-2011
(ग)	जन्मतिथि		07.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अख्तर जहाँ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2010/23.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800(5400)
(घ)	वेतन	₹	23,990
(ङ)	मूल पेंशन	₹	11995
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4798
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	7197
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 11995/-दि० 06.08.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	7197
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	63,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	31650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	18990
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	31650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4798
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	26852
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6677

12230

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
- 2 श्रीमती अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद, सेवानिवृत्त लेखालिपिक, पता-131/180, बेगम पुरवा पो० टी०पी० नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।


3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

30/1/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(UP Government Undertaking)

पत्र सं०

5990

1985-1986

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

आदर्श, कोषागार लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गजेन्द्रपाल सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8560	27-08-1991	
(ग)	जन्मतिथि			30.06.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती राधा रानी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.04.1935
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.1986
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹		6,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹		₹ 39,709/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		39709
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		83104
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		85700
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		85700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51400
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		दि० 01.01.2016 से 29.06.18 तक 30 प्रतिशत ₹ 25710/- एवं दि० 30.06.18 से 40 प्रतिशत ₹ 34280

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6678

5990

1985-1986

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री गजेन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-1005, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श,  
कोषागार,

लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करे।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सहायक कार्यालय)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

12228

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19.

कोषाधिकारी,

बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश चन्द्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5094	दिनांक 14-12-2010
(ग)	जन्मतिथि		22.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अरुणा चन्द्र
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	210581
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 31080/- दि० 21.06.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 80650/- दि० 21.06.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6679

12228

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।
2. श्री जगदीश चन्द्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-4, फेन्डस एन्कलेव, धनवन्ता मार्ग, गाँधी नगर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and stamp of the Accounts Officer (Pension). The stamp includes the text 'लेखाधिकारी (पेंशन)' and 'उ०म०प्र० का० लि०'.



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

7669

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19

कोषाधिकारी कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार सन्याल अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	361	22-10-1997	
(ग)	जन्मतिथि		11.11.1938	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रीता सन्याल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 /	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)	
(घ)	वेतन			17,750
(ङ)	मूल पेंशन			24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग			पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13	
(ख)	निर्धारित वेतन			1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			67,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन			पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें			67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			

13500 दिनांक 11.11.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6680

7669

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी केन्द्रीय वित्त लेखा एवं बजट संगठन, पनकी तपोय परियोजना, पनकी कानपुर
2. श्री अनिल कुमार सन्याल, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता म०न० 451, ब्लाक-बी, पनकी, कानपुर
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

1/11/19  
25/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government

मानक संख्या: U.P. 0322/01/UP/9985/CC/24928



पत्र सं०

7683

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19.

कोषाधिकारी कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश सिंह अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	968	दिनांक 31-03-2000
(ग)	जन्मतिथि		02.03.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.06.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400	(37400-67000 गंड पे 10000)
(घ)	वेतन		19,400
(ङ)	मूल पेंशन		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		72,100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 72100 का		14420 दिनांक 02.03.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6681

7683

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर

2. श्री ओम प्रकाश सिंह, से०नि० सहायक अभियन्ता

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बिजनौर

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

नऊ



उ०प्र० राज्य कारपोरेशन लि०

(सोपान संवत् १९९३)

१९९३-१९९३

दिनांक ३१/१/१९



पत्र सं०

6982

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु दत्त उपाध्याय सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	9481/1503	दिनांक	22-11-1993/15-03-2011	
(ग) जन्मतिथि				01.09.1934
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती राकेश उपाध्याय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				14.08.1940
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.08.1992
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				चतुर्थ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				4250-5600
(घ) वेतन		₹		5,600
(ङ) मूल पेंशन		₹		23050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹		पुर्नस्थापित
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		23050
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		10802
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹		1,26,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		63400
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(I) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		63400
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹		पुर्नस्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		63400
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		38040
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		दि० 01.01.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 12680/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6682.

6982

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2 श्री विष्णु दत्त उपाध्याय, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-80 आनन्द बाग कालोनी आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

8042

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

उप मुख्य  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	757	दिनांक 12-08-1999
(ग)	जन्मतिथि		06.06.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पेन्द्र मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6688

8042

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-1/111, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ; को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

MR. K. K. Mishra  
25/11/18  
लेखाधिकारी (पेंशन)




# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० उपकरण का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION GEN/032201UP/999SGC024928



पत्र सं०

12229

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नौरंगी लाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5672	30-04-2012	
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती प्रेमलता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		65,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32505
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19503
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 32505/-दि० 31.12.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19503
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		705981
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 83600/-दि० 31.12.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6684

12229

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।
- श्री नौरंगी लाल, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-म०नं०-2/691 एफ०, गली नं०-2, रामबाग कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date 25/1/19, along with official stamp of the Accounts Officer (Pension).





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B



पत्र सं०

11307

2007-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज भूषण भाटिया

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4124 दिनांक 10.01.2008
(ग)	जन्मतिथि	01.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.05.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 67,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22084
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,77,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11716
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76984
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1685

11307

2007-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर मथुरा।

2 श्री बृज भूषण भाटिया, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-म०न०-14,सेक्टर, श्रीरामपुरम एस्टेट मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B



पत्र सं०

8069

99-2000

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक-

31/1/19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिहारी लाल गुप्ता सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5574 दिनांक 23.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	02.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-10-1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि 30.06.05

(ख) तत्समय लागू वेतनमान पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) 18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)

(घ) वेतन ₹ 19400

(ङ) मूल पेंशन ₹ 25982

(च) पेंशन का राशिकृत भाग ₹ 5338

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन ₹ 20644

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर ₹ 16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) 14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन ₹ 144,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन ₹ 72100

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन ₹ लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन ₹ लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन ₹ 72100

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) ₹ 5 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 68495

(ङ) राशिकृत पेंशन ₹ 5338

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ ₹ 63157

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) ₹ लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) ₹ 43260

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) ₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6686

8069 99-2000

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्री बिहारी लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 06 प्रयाग सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(U.P. Power Corporation Limited)  
U.P. Power Corporation Limited

पत्र सं०

8726

2000-20001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार जैन

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिर्वर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1552 दिनांक 19.09.2001
(ग)	जन्मतिथि	16.04.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती शशि जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	20.07.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4063
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23287
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 79921
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 79921
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 79921
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4063
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ ₹ 75858/- दि० 04.09.2016 तक तदुपरान्त ₹ 79921/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6687

8726

2000-20001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री नरेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-ए०ई० 14, अबनिन्का कालोनी, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के मापक सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7705

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रताप नारायण मेहरोत्रा

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	403	29-12-1997	
(ग)	जन्मतिथि			22.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती लीला मेहरोत्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			26.01.1942
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			18400-22400/(37400-67000) ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27,350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14,220
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियां 66
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74,250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 74250 का	₹		14850 दिनांक 22.08.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6688

7705

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री प्रताप नारायण मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता -167-91 सी/7वीं दलेल का पुरा, अल्लापुर इलाहाबाद।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7734

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
लखीमपुर (खीरी)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० गाधवराम सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	768	17.08.1999
(ग)	जन्मतिथि		06.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.01.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		13.11.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड-पे-6600
(घ)	वेतन	₹	13900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9425
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	85800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6687

7734

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखीमपुर (खीरी)।

2. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० गाधवराम, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-28, महाबीरी टोला, ओयल टाऊन, जिला-लखीमपुर (खीरी)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार लखीमपुर (खीरी)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

(संशोधन, संरक्षण का विभाग)

पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण

पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण



पत्र सं०

12173

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/1/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5176	दिनांक	22-02-2011
(ग)	जन्मतिथि			01.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुधा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.12.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23274
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹		85024
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6691

12173

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री सुरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-सेक्टर-ई०, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन विहारिणी  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ




उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पर्यटन कोषागार)

आदर्श कोषागार, लखनऊ

पता-554/1287 पवनपुरी, आलमबाग, लखनऊ

फोन-2201119



पत्र सं०

12207

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 31/1/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दशरथ सिंह

सेवानिवृत्त

आशुलिपिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5049 दिनांक 13-10-2010
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रमाकान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 35,540
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17770
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10662
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 46900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 46900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाय	₹ 39930
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 28140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6692

12207

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री दशरथ सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, पता-554/1287 पवनपुरी, आलमबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिशायी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मद लेखिका (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11601

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21/1/18

कोषाधिकारी कोषागार कासगंज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार शर्मा

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

लेखाधिकारी

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4811	दिनांक 12-03-2010
(ग)	जन्मतिथि		07.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.03.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		(37400-67000 ग्रेड प्रे० 8700)
(घ)	वेतन		56,930
(ङ)	मूल पेंशन		28,465
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		19019
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		17079
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	12
(ख)	निर्धारित वेतन		1,47,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		73,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		73,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		73500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		64054
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6693

11601

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कासगंज, (काशीराम नगर)  
श्री अनिल कुमार शर्मा से०नि० सहायक लेखाधिकारी, पता द्वारा श्री जगदीश प्रसाद वशिष्ठ, रामलीला मन्दिर के पास सहावर गेट मो० जय जय राम, कासगंज, (काशीराम नगर)
- 2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कासगंज स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date 31/1/18

कोषाधिकारी

Handwritten signature

लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पारिवारिक कारपोरेशन लि०

(लि०प्र० संस्कार को उपक्रम)

Pension Commission Limited

(Pension Commission Limited)

(Pension Commission Limited)



पत्र सं०

8190

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिद्वर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1192 दिनांक 31.10.2000
(ग)	जन्मतिथि	02.05.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सन्तोष बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.06.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिग्गत तिथि	31.05.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 16,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1952
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22343
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1952
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ ₹० 63598/- दि० 19.01.2016 तक तदुपरान्त ₹० 65550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6694

8190

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।

2 श्री वीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-1267 नई शिवपुरी, नवल भवन, हापुड़, जिला पंचशील नगर,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० ऊ०रकार को० उ०प्र०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Electricity Board)

पं० सं० 12690/2011-2012



पत्र सं०

12690

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

10.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिबर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5625 दिनांक 14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	11.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.05.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.12 - 31.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 32,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 16090
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6436
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9654
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9654
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 84,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 42450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 42450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6436
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 36014
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25470
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6699

12690

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एल०आई०जी०-46, राप्ति नगर, फेज-4, जनता इन्टर कॉलेज के पीछे चारगाँवा ब्लाक, गोरखपुर,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का निगम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Power Corporation Limited

पता: एल०आई०जी०-४६, राफि नगर, फेज-४, जनता इण्टर कॉलेज के पीछे चारगाँवा ब्लाक, गोरखपुर



पत्र सं०

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5625 दिनांक 14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	11.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.05.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 33,380
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 6690
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6436
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10254
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10254
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 42900/-दि० 15.01.2018 से
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 42900/-दि० 15.01.2018 से
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6436
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 36464/-दि० 15.01.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6200

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एल०आई०जी०-46, राफि नगर, फेज-4, जनता इण्टर कॉलेज के पीछे चारगाँवा ब्लाक, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

पेंशन PENSION NUMBER: 2002-2003-030024928



पत्र सं०

9359

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1.2.19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज बहादुर पाण्डेय सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। स्तर-प्रथम

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिदर
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिदर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2103	31.12.2002
(ग)	जन्मतिथि		01.11.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुन्दावती पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4480
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22870
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4480
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 79120/-दि० 30.03.2018 तक तदुपरान्त ₹ 83600/-तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6701

9359

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री राज बहादुर पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता- आई-16, राप्तीनगर, चतुर्थ चरण पोस्ट-चरगाँवा, गारेखपुर-273013,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषाधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
पेंशन PENSION  
CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०.....उ०म०प्र०/लेखा/11968/09-10

दिनांक: 1/2/2019

**शुद्धि पत्र**

श्री अब्दुल रब, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी को कार्यालय के पी०पी०ओ० सं० 4836 दिनांक 05.04.2010 द्वारा पेंशन प्राधिकृत की गयी है के पेंशन पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सं० 5763 उ०म०प्र०/लेखा/11968/09-10 दिनांक 31.12.2018 के बिन्दु 'ग' पर जन्मतिथि 02.02.1950 के स्थान पर टंकणीय त्रुटिवश 18296 अंकित हो गया है।

अतः श्री अब्दुल रब, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी के उपरोक्त प्राधिकार पत्र में बिन्दु 'ख' पर 05.05.2010 के स्थान पर 05.04.2010 एवं बिन्दु सं० 'ग' पर दिनांक 18296 के स्थान पर 02.02.1950 पढ़ी जाय।

(मनोज मेहरोत्रा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्रांक ~~11-2~~ उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/11968/09-10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. श्री अब्दुल रब, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता 58/228, बाग आईना बीबी, हुसैनगंज, लखनऊ।

(मनोज मेहरोत्रा)  
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० भारखाण कारपोरेशन)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

12602

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगा राम गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5466 दिनांक 10.10.2011
(ग)	जन्मतिथि	08.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सावित्री गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 62,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31110
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12444
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18666
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18666
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,60,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12444
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायँ	₹ 67856
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुमतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुमतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6703

12602

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री गंगा राम गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-म०न०-610/1ए केशव नगर सीतापुर रोड, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुमतान प्राप्त करें।

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्प्रो गंग कारपोरेशन लि०

(गोपनीय/Confidential)

गोपनीय/Confidential

गोपनीय/Confidential

गोपनीय/Confidential



पत्र सं०

6213

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधारानी पत्नी स्व० चिरंजी लाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9734 दिनांक 28-09-1944
(ग)	जन्मतिथि	08.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधारानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.10.1945
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.05.1987
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 5,450
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8266
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	38 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6704

6213

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2/ श्रीमती राधारानी पत्नी स्व० चिरंजी लाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-एफ-164, इन्द्रलोक कृष्णानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मानो जी खोसला (पेंशन)  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9109

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश बहादुर सक्सेना अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1788	दिनांक 17-04-2002
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती किशोरी सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08.06.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-01-2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000	(37400-67000 ग्रेड प्रे० 8900)
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		3040 दिनांक 17.07.2017 तक
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		21255 दिनांक 17.07.2017 तक तदुपरान्त 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		69,550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		3040 पुनर्स्थापित दिनांक 17.07.2017
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		66510 दिनांक 17.07.2017 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6705

9109

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्याचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली
- श्री दिनेश बहादुर सक्सेना, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता-997 कुँवरपुर डा० लक्ष्मी नारायण मार्ग बरेली
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

21/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/NL/D/322010/P/1999SGC024928



पत्र सं०

12281

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/119

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी दत्त

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5209 दिनांक 14-03-2011
(ग)	जन्मतिथि	11.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9826
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21254
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9826
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 70824
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6700

12281

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- 2 श्री लक्ष्मी दत्त, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कै०कै०-103, कवि नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पन्न सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

के सम्पन्न सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन विहारी शर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० विद्युत कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

UP Government Undertaking

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11713

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बलरामपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4626	दिनांक	24.10.2009
(ग)	जन्मतिथि			15.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03-02-1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹		28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18989
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		147,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		73800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		73800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64354
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6707

11713 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बलरामपुर
- 2 श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता पीपल तिराहा के पास, माधव भवन, पहलबारा, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बलरामपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करे ध्यानपूर्वक करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11404

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कबीर चन्द्र रुद्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4455 दिनांक 02.06.2009
(ग)	जन्मतिथि	19.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लीना रुद्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/(8900 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20724
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 78300
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 9446
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 68854
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 46980
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6708

11404

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कबीर चन्द्र रुद्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-1/137 सेक्टर-जे, रेलनगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6209

7752

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
नाथ श्रीवास्तव

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पारिवारिक पेंशन			
(क) पेंशन का प्रकार			
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	445	दिनांक	03.03.1998
(ग) जन्मतिथि			03.07.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती लीला श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.06.1947
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1997 / 01.10.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			16400-20000 / (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	₹		18,200
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियां 66

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(क) निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67,500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40,500
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6209 7752 97-98 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-143, सेक्टर-के अलीगंज, निकट विद्यांचल मन्दिर, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ सूचक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/01/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7760

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कालिका सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	770 दिनांक 18.08.1999
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कालावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	तालिका नं० 14
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43,260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 72100 का	₹ 14420 दिनांक 15.07.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6710

7760

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी।
- श्री कालिका सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-192 विश्वनाथपुरी, नसीरपुर नियर माताकटरा, सुरवाही, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष/सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7751

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-11/9

आदर्श, कोषागार, लखनऊ

आदर्श, कोषागार

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बिमला सिंह पत्नी स्व० रणवीर पारिवारिक पेंशन प्रवर वर्ग सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
कुमार सिंह

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	383	दिनांक 29-11-1997
(ग)	जन्मतिथि	10.08.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बिमला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.10.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300	(37400-6700 ग्रेड पे 8700)
(घ)	वेतन		15,100
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन		1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		61,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

CA 11

7751

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यंत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती बिमला सिंह पत्नी स्व० रणवीर कुमार सिंह, से०नि० प्रवर वर्ग सहायक पता 3/309 विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आदर्श, कोषागार स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

31/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7694

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व० लल्लन सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	382 दिनांक 29.11.1997
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.09.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 6,500
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	7282
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 47 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	13 तालिका नं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	135000
(ख)	निर्धारित वेतन	₹
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 40500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6712

7694

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
2. श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व० लल्लन सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-ए-5/1 आनन्त कालोनी कैंन्ट वाराणसी।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समर्थन प्राप्त कर

30/01/19

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9236

2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2-1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1908	23.07.2002
(ग)	जन्मतिथि		29.03.1961
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गायत्री दीक्षित
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.05.1965
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		14.10.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड-पे (6600)
(घ)	वेतन	₹	13,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		8985
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	29 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		11 तालिका नं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		80900
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		40450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	24270
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6713

9236

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्रीमती गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-58, बसेत विहार, नौबस्ता, कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर नगर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8468

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/17

कोषाधिकारी, कोषागार,

लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुकेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

ओबरा

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1130	दिनांक 16.10.2000
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मालती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.11.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		16410
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	57 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		14 तालिका सं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		153000
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		76500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	66069
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	72100
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	45900
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6714

8468

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री सुकेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-656/26 कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6715

8431

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषागार

गोण्डा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तौकीर हसन खॉ अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1407	दिनांक 16-04-2001
(ग)	जन्मतिथि	11.09.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती समीम फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.06.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		03.09.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ)	वेतन		19,550
(ङ)	मूल पेंशन		23,150
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		3014
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	20136	दिनांक 16.07.2016 तक तदुपरान्त 23150
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		69,550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		3014
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	66536	दिनांक 16.07.2016 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6715

8431

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड मध्ययल विद्युत वितरण निगम लि०, गोण्डा
- श्री तौकीर हसन खान से०नि० सहायक अभियन्ता पता 279 इमामबाडा, गोडा  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोण्डा स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

31/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7782

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मऊ नाथ मंजन।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शबीर हसन कुरैशी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	543	दिनांक 20.10.1998
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दुरेशहवार
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14220
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6716

7782

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मऊ नाथ मंजन।
- श्री शबीर हसन कुरैशी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-15ए, कन्टोनमेन्ट वरुणा पुल, वाराणसी।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार मऊ नाथ मंजन को प्रेषित पत्रांक
- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक  
भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समीक्षा स्थापित कर

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7781

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर पारिवारिक चपरासी अली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	433	दिनांक 09-03-1998
(ग)	जन्मतिथि	04.12.1937	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अनीस फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1997 / 03.10.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5300-8600 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)	
(घ)	वेतन		5,600
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		3526
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58	छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	06
(ख)	निर्धारित वेतन		37,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		18,950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		11370
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6714

7781

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर अली रो०नि० चपरासी पता 169/61 ख्याली गंज थाना कैसर बाग, लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

31/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8500

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य नारायण मौर्य

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1341 दिनांक 03.03.2001	
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.12.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300/37400-67000 ग्रेड-पे (8700)
(घ)	वेतन	₹	16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2447
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20603/- दि० 03.06.2016 तक तदुपरान्त 23050/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2447
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	60953/- दि० 03.06.2016 तक तदुपरान्त 63400/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6718

8500

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री सत्य नारायण मौर्य, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मोहल्ला विलन्दपुर निकट शिव मन्दिर, पो० विलन्दपुर, जिला गोरखपुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION No. 032201UP19995CC024928



पत्र सं०

11710

09-10

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4595	दिनांक 29.09.2009
(ग)	जन्मतिथि		01.08.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कलावती पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009/30.09.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62.160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 31.07.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161.300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 31.07.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6719

11710

09-10

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

श्रीमती कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय, सहायक अभियन्ता पता म०न० 89 बजरंग नगर कालोनी, गोरखनाथ, गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9876

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय

अधिवर्षता

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3705	दिनांक 28-08-2006
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1945	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(15600-39100 ग्रेड पे 5400)	8550-13500
(घ)	वेतन		11,300
(ङ)	मूल पेंशन		11,851
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		2097
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		9754
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		7662
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	10
(ख)	निर्धारित वेतन		69,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		34,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		34,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		34500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		2097
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		32403
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		20700
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4720

9876

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद
2. श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, से०नि० लेखाकार, पता म०न० 01/12/15/बी/01 सिविल लाइन फैजाबाद
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, फैजाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

23/01/19  
गीता मिश्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन लि०  
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: UP-2010/0999SGC024928



पत्र सं०- / उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

12960/12-13

दिनांक-

17/2/19

कोषाधिकारी,  
आर्दश कोषागार, लखनऊ।पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 4351 दि० 07.12.2018 को निरस्त  
करते हुये निर्गतविषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं  
तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक  
01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5945 18.01.2013
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती नमिता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.06.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 64,030.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 19,209.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,209.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,66,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,050.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,050.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 70,244.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 49,830.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित  
पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी  
अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित  
पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6221 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/12960/12-13

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

2. श्री शंकर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-18/2, विनय नगर कृष्णा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार,  
लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
गनोज महेश्वर  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ






# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6384

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश बिहारी माथुर

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

8706

दिनांक

31.12.1991

(ग) जन्मतिथि

19.12.1931

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शशि माथुर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

30.04.1937

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.1989

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

21350-23975/63000-78000

(घ) वेतन

₹

7,500

(ङ) मूल पेंशन

₹

37,800

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

37,800

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18,900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,71,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85,700

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

85,700

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ

₹

85,700

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51,420

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

दि० 01.01.16 से 18.12.16 तक 20प्रतिशत अतिरिक्त रू० 17140/- एवं दिनांक 19.12.18 से 30प्रतिशत रू० 25710/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6722

6384 89-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कैलाश बिहारी माथुर, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त, पता- 20/239, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

Pension PENSION CN. 13201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12963

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5811 दिनांक 11.09.2012
(ग)	जन्मतिथि	02.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.05.59
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 66,020
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33010
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13204
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19806
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	33010 दि० 01.07.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19806
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 170,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 85200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13204
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 71996
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85200 दि० 01.07.19 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51120
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6724

12963

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त पता म०न० 198 मानस इन्वलेव, पिकनिक स्पॉट रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विप्लव कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंशन/PENSION PLAN No. 220/01/1899SGC024928



पत्र सं०

11523

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम नारायण अवस्थी

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5512 दिनांक 02.12.2011
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विनीता अवस्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-07-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 8 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 32030 दि० 13.09.11 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10158
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21872
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 8 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 84042
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10158
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 73884
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1725

11523

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2 श्री प्रेम नारायण अवस्थी, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 7/52, तिलक नगर, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष उपरोक्त स्पष्टि कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 1/2/19  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपप्रकार)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION/CI/10322011/UP/99956024928



पत्र सं०

12257

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वरोचिष गुप्ता सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5267 दिनांक 04.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25-12-1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36940 दि० 04.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96900 दि० 04.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6726

12257

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री स्वरोचिष गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 201 तीर्थ विकास अपार्टमेन्ट, जी०एच०-4 सेक्टर-2, विकास नगर, लखनऊ  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12245

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/15

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० सेवानिवृत्त  
महेन्द्र नारायण पाण्डेय

लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5100	दिनांक	22.12.2010
(ग)	जन्मतिथि			10.08.1956
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10.07.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			19.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			15600-39100 ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹		27770
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			13885/- दि० 13.06.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8331
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		39	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10	तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		73200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		36600/- दि० 13.06.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6727

12245

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 57-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2. श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० महेन्द्र नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पता-ग्राम व पोस्ट बसही, तहसील करछना, जिला-प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक

स्थापित कर भुगतान प्रस्तुत करें।

शक्ति भवन, लखनऊ।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

शक्ति भवन, लखनऊ।



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12242

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3399	19.07.2011	
(ग)	जन्मतिथि			08.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अरुणा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.04.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		67600
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22084
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		177400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11716
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		76984
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6728

12242

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-203, गणपति धाम, निकट कामायनी हास्पिटल, सिकन्दरा, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13441

2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
झॉंसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6490	दिनांक 25.06.2014
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्द्रलेखा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.04.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	67920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33960
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20376
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		33960/- दि० 31.01.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20376
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	88100/- दि० 31.01.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 40500 का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6729

13441

2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, झॉंसी।

2. श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम रानीपुर, पोस्ट रानीपुर, जिला झॉंसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार झॉंसी।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुम्हान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9952

2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया लाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2890	दिनांक 22-11-2004	
(ग)	जन्मतिथि			01.06.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रमा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			04.01.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4281
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23069
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4281
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		76869/-दि० 15.01.2020 तक तदुपरान्त 81150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6730

9952

2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।

श्री कन्हैया लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-प्लॉट नं०-101, आनन्द विहार अपार्टमेंट, 4/276, पार्वती बागलारोड, कानपुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

1/2/19

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7607

1996-1997 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुवेन्द्र झा

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	473	दिनांक 27-05-1998
(ग)	जन्मतिथि		07.02.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सगवान देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.07.1949
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	16850
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	131100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	13110 दि० 07.02.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6231

7607

1996-1997 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।  
श्री मुवेन्द्र झा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता-ई-22, जनकपुरी, अजन्ता कालोनी के पीछे गढ़ रोड, मेरठ।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सीपेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

1/2/19  
के सीपेक्ष सम्पर्क

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Power Corporation Limited)



पत्र सं०

13659

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीपक चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6699 दिनांक 22.01.2015
(ग)	जन्मतिथि	26.08.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 60,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30105
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12042
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18063
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 30105/-दि० 25.08.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18063
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,55,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12042
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65908
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 77950/-दि० 25.09.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6732

13659

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री दीपक चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक लेखाधिकारी, पता-114, हरीहर नगर, नियर लार्ड मेहर कालेज, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(A Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11509

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भास्कर चन्द्र जोशी

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4862 दिनांक 22.04.2010
(ग)	जन्मतिथि	23.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा जोशी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22-12-1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12010
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22805
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12010
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 79340
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6733

11509

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री भास्कर चन्द्र जोशी, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 33 त्रिमूर्ति नगर, फेज-1 पो०आ० सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226008

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पत्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11539

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीता पत्नी स्व० दुखीराम सेवानिवृत्त

जमादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4421	दिनांक 24.04.2009	
(ग)	जन्मतिथि			03.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गीता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2009/14.02.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800 ग्रेड-पे (4200)
(घ)	वेतन	₹		18730
(ङ)	मूल पेंशन	₹		9365
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3174
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		6191
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		9365/- दि० 02.01.2014 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		5619
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		49400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		24700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		24700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3174
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	21526/- दि० 14.02.2017 तक	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	14820/- दि० 15.02.2017 से अग्रतर	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1734

11539

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती गीता पत्नी स्व० दुखीराम, सेवानिवृत्त जमादार, पला-मानस विहार कालोनी, निकट मोहन आटा चक्की, सर्वोदय नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श  
कोषागार,  
लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक

स्थापित कर भुगतान प्रारम्भ कर दिया जायँ

लेखाधिकारी (पेंशन)

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पेंशन PENSION/CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12288

2010.11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/15

कोषाधिकारी,  
कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

वीरेन्द्र नाथ शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5204	दिनांक	03-10-11
(ग)	जन्मतिथि			25-11-1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गुलशन कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			04.07.52
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		66620
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33310
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20308
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 33310/- दि० 24.11.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19986
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		172,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		86100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		86100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		73098
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 86100/- दि० 24.11.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6735

12288 2010.11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2 श्री वीरेन्द्र नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अधिकांसी अभियन्ता, पता-77/20, गोल्डन ग्रीन पार्क, बरेली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार बरेली

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN:U32201UP1999SC024928



पत्र सं०

13838

2015.16

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव पूजन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6919 दिनांक 12-04-15
(ग)	जन्मतिथि	21-08-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.57
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 74230
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 37115/- दि० 20.08.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22269
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 192,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 81404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96250/- दि० 20.08.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6736

13838 2015.16

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहद्वीपुर, गोरखपुर

2 श्री शिव पूजन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न० 219 एफ, शक्तिनगर कालोनी, पो०-आरोय मन्दिर गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12658

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सागर जायसवाल

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5526	16.12.2011
(ग)	जन्मतिथि			01.10.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सीतावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹		65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32980/- दि० 30.09.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		85550/- दि० 30.09.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6737

12658

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री राम सागर जायसवाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, पता-543, दीन दयाल नगर, अर्जुनगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ  
कोषागार,  
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11585

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नौरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4663	दिनांक	16.11.2009	
(ग)	जन्मतिथि			15.06.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती नौरंगी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2009 / 14.12.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹			56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				28435 दि० 14.06.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			147,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			73800 दि० 14.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा; दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6738

11585 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
- श्रीमती नौरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू, अधिशासी अभियन्ता पता ग्राम बनौली कलां, पो० सिकरी, जनपद चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करके भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11512

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अमरोहा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री परम सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4468	दिनांक	19.06.2009
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गोमती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02-03-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹		29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19560
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		17574

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66270
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6739

11512 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अमरोहा
- 2 श्री परम सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता शेरपुर रोड, निकट पहाड़पुर सोसाइटी, मण्डी धनौरा, जिला जे०पी० नगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अमरोहा अमरोहा को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।
- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7957

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बाँके लाल चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	939	14-02-2000	
(ग)	जन्मतिथि			03.09.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्पा देवी चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.07.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/(37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	₹		19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16,410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) (74250+20%)	₹		(74250+14850) 89100 दिनांक 03.09.2020 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6240

7957

98 99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० वि० खण्ड प्रथम मथुरा।

2. श्री बाँके लाल चतुर्वेदी सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता पता-983 श्याम घाट, मथुरा।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पूर्ण प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U332201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8800

2001-2002

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-119

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1653 दिनांक 02.01.2002
(ग) जन्मतिथि	11.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेह लता बंसल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.09.2001/23.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ) वेतन	₹ 16,700
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,30,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39180
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6741

8800

2001-2002

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर वितरण निगम लि०, हापुड़।

2 श्रीमती स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-2-1/891, न्यू शिवपुरी, आनन्द लोक, हापुड़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995GC024928



पत्र सं०

11518

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंजीत सिंह अरोड़ा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिबर्षता	श्री परविन्दर कौर
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4478	30.06.2009	
(ग)	जन्मतिथि		04.03.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्री परविन्दर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18-08-1958	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6742

11518 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री रंजीत सिंह अरोड़ा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 498-बी, हिन्द नगर कालोनी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र०

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-UB22D1UP1999SGC024928



पत्र सं०

12147

2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रदीप कुमार

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6427	दिनांक	25-04-11	
(ग)	जन्मतिथि			03-10-50	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सुनीता मिस्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.08.53	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.10.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹			67600
(ङ)	मूल पेंशन	₹			33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			13520
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			20280
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 33800/- दि० 02.10.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			20280

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			40 छमहियाँ	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			177,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			13520
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹			75180
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			88700 दि० 02.10.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			53220 दि० 03.10.17 से अग्रेतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6743

12147 2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2. श्री प्रदीप कुमार, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-डी-177, शास्त्री नगर, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ मेरठ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विभलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)

लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7686

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिवपाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	355	दिनांक	17-10-97
(ग)	जन्मतिथि			02.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		19900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		148,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6744

7686 97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- श्री शिवपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पता- एम०एल०-17, सेक्टर-एल अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन BENEFIT CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12293

2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद अनीस

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5576	दिनांक	23-01-12	
(ग)	जन्मतिथि			18-01-1951	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती हुसैन बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.06.56	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700	
(घ)	वेतन	₹			60400
(ङ)	मूल पेंशन	₹			30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			12080
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			18120
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 30200/- दि० 17.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			18120

## (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			12080
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			65870
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			₹ 77950/- दि० 17.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6745

12293 2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री मोहम्मद अनीस, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता म० नं० 628श/178एफ, शक्ति नगर लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त  
विनोद कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० म० प्र० कारपोरेशन लि०  
आदर्श कोषागार लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12287

2010.11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार फर्रुखाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय कुर्वर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5154	दिनांक	02-03-11	
(ग)	जन्मतिथि			07-01-49	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सुनीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			07.01.49	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹			58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹			29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 29290/- दि० 30.06.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			17574

(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			₹ 76000/- दि० 30.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6746

12287 2010.11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।

2 श्री जय कुर्वर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/418, आवास विकास कालोनी, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार  
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद

को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कुम्हार

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12196

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सेवानिवृत्त सिंह

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

7072

दिनांक

23.07.2016

(ग) जन्मतिथि

04.06.1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुनयना सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

30.04.1957

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.2010/12.07.2016

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP 10000

(घ) वेतन

₹ 71,720

(ङ) मूल पेंशन

₹ (दि० 23.05.16 तक 2प्रति० दण्ड के उपरान्त) ₹ 35860/- दि० 24.05.16 से

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹ 12,658

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹ 23,202

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹ 21,516

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,88,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

94,100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

दि० 23.05.16 तक 2प्रति० दण्ड के कारण (94100-1882) ₹ 92218/-

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

12,658

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

₹ 79560/- दि० 01.01.16 से 23.05.16 तक तदुपरान्त ₹ 94100/- प्र०म० दि० 24.05.16 से 12.07.16 तक

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

₹ 56460/- दि० 13.07.2016 से

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6749

12196 10-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर

2 श्रीमती सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सिंह, अधिकासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता- 199-एच०, शिवापुरम, वसारातपुर, गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11843

2009-20010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद सईद हैदर

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4788	दिनांक	26.02.2010
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निगार हैदर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.01.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ)	वेतन	₹		71720
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21516
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		188200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6748

11843

2009-20010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री सैयद सईद हैदर, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-2/373, विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श  
कोषागार,  
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमर्श

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

शक्ति भवन, लखनऊ।



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN/132201UP/19995DC024928



पत्र सं०

13856

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओमबीर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिर्वर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6916 दिनांक 01.12.2015
(ग)	जन्मतिथि	04.08.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-05-1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.15
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 74,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	37115 दि० 03.08.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22269
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 192,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 96250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 81404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96250 दि० 03.08.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6750

13856

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2. श्री ओमबीर सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मकान नं०-26-बी, ब्लाक-बी त्रिवेणी रंगोली कालोनी, सिकन्दरा, आगरा-282007

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष तत्पश्चात् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

विमर्श

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11528

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार पालीवाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5313	14.06.2011
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अनीता पालीवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			09-06-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			25.03.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30408
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10857
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19551
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			30408 दि० 31.06.13 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	167,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10857
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	72743
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्पसुद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6751

11528

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2 श्री अनिल कुमार पालीवाल, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-81, कमलानगर, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12204

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

विक्रम जंग बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधोक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5148

दिनांक

25.01.2011

(ग) जन्मतिथि

23-09-1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निर्मल कौर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

26.08.1956

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.09.2010

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठे वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

73,880

(ङ) मूल पेंशन

₹

36,940

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

14,776

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

22,164

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

36940 दि० 22.09.2015 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

22,164

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

14 तालिका नं०

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,93,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016

को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

96,900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

58,140

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

96,900

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

14,776

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

82,124

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

96900 दि० 22.09.2017 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

58,140

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6752

12204 10-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्दनगर, कानपुर

2 श्री विक्रम जंग बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-376, एन-2 रोड, हरजिन्दर नगर, कानपुर-208007

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाकरणलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9308

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-119.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीना नाथ चौरसिया

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		2065	दिनांक 21.11.2002
(ग)	जन्मतिथि			06.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शोभा चौरसिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.12.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 / 37400-67000(10000)	
(घ)	वेतन	₹		19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		8770
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18580
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66	छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14	तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		8770
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65480 दि० 20.02.2018 तक 74250 दि० 21.02.2018 से अग्रेतर	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ता-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6753.

9308

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
2. श्री दीना नाथ चौरसिया, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता पता-सी-32/27ए-11ख, चन्दुवा हवीकपुरा, वाराणसी।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION PLAN 1322010P199SGG0122781



पत्र सं०

9201

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश कच्छल

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2152	दिनांक 14.02.2003
(ग)	जन्मतिथि		20.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विजया रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.10.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3001
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3001
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	₹० 66549/-दि० 13.05.18 तक तदुपरान्त ₹० 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6755

9201

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री ओम प्रकाश कच्छल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- आर-11/123, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० ए० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

महेश्वरी (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० ए० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12389

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-01-2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल प्रसाद गर्ग

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5399 दिनांक 17.08.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिमलेश गर्ग
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 / (8900 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6756

12389

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्तन विद्युत वितरण निगम लि०, हापुड़।

2 श्री गोपाल प्रसाद गर्ग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ए० 55, संजय विहार आवास विकास कालोनी, मेरठ रोड, हापुड़ (राजियाबाद)-245401।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रों के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10028

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 01.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2744	31.08.2004
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सावित्री देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.01.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004/23.10.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		8550-13500/15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	12,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8408
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	73,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6757

10028

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 9-एफ०एच०-3-35 औबरा, सोनमद्र।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12239

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
बहादुर दुबे

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पारिवारिक पेंशन	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5088 दिनांक 26.11.2010
(ग) जन्मतिथि	07.02.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती श्यामा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.06.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.09.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP. 5400
(घ) वेतन	₹ 30,330
(ङ) मूल पेंशन	₹ -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	15165 दि० 06.02.2016 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9,099
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 80,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संधान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 40000 दि० 04.09.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24,000
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6758

12239

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद
- श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र बहादुर दुबे, लेखाकार दिवंगत, पता ग्राम बैसूपाली, पो० जजवारा, थाना हैदरगंज, तहसील बीकापुर, फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 11594 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19.  
कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मालती पत्नी स्व० होरी लाल सेवानिवृत्त चपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4518	दिनांक	07.08.2009	
(ग) जन्मतिथि			03.01.1955	
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती मालती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				01.01.1965
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				02.06.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800 GP. 4200	
(घ) वेतन		₹		18,180
(ङ) मूल पेंशन		₹		-
(च) पेंशन का राशिकृत माग		₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				9090 दि० 02.08.2018 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		5,454
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			6 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹		48,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		24,000
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹		-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹		24,000
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		24000 दि० 02.08.2016 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		14,400
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6757 11594 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती मालती पत्नी स्व० होरी लाल, चपरासी (दिवंगत), पता 14/149, उदयगंज, पुराना बर्फखाना, थाना हुसैनगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12238

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आनन्द कुमार जैन

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6294	14.11.2013	
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुषमा जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.08.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹		69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20,889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

क्र.	विवरण	मूल्य	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		91,350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		91,350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		-
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		91350 दि० 02.08.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		54,810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6760

12238

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री आनन्द कुमार जैन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता बी-09, पार्श्वनाथ प्रैस्टिज सैक्टर-93, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7775

1997-1998

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सरेश चन्द्र अग्निहोत्री सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	464 दिनांक 18.05.1998
(ग) जन्मतिथि	30.03.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.02.1944
2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1998 / 30.05.2007
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ) वेतन	₹ 17,300
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5762

7775

1997-1998

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि०, उन्नाव।
- 2 श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सरेश चन्द्र अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-48, बाबूगंज, कृष्णा नगर, उन्नाव।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार उन्नाव। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक 2/2/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited  
UP Government Corporation

पेंशन PENSION (IN/03/2011/UP/1999SG/02/1928)



पत्र सं०

11386

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज मोहन लाल

सेवानिवृत्त

प्रशासन  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4378 दिनांक 20.02.2009
(ग)	जन्मतिथि	15.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधा देवी गोस्वामी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	9300-34800 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 30,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 15005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9003
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9003
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 77,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	38,950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 38950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 32948
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 23370
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6763

11386

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्री बृज मोहन लाल, सेवानिवृत्त प्रशासन अधिकारी, पता:-117/935 काकादेव, निकट चन्देल चौराहा, कानपुर नगर-208025.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पर्क स्थापित कर  
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
कानपुर



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12227

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार कपूर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5150	01.02.2011
(ग)	जन्मतिथि		04.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन कपूर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP.	8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 दि० 03.08.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	मूल वेतन
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	49,830
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 03.08.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6764

12227

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री वीरेन्द्र कुमार कपूर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 228/196, के०एल० कीडगंज, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शांति भवन, लेखनांक 1

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन  
दिनांक 2/2/19.



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12154

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नन्द लाल

सेवानिवृत्त

साइक्लो  
आपरेटर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5001	26.08.2010
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अमरावती देवी मौर्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 GP 4200
(घ)	वेतन	₹	20,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10,105
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3,976
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6,129
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6,063
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	26,200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	15,720
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	26,200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3,976
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाय	₹	22,224
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	15,720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6765

12154

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री नन्द लाल, सेवानिवृत्त साइक्लो आपरेटर, पता 539/537, बड़ी जुगौली, निकट मुईयन देवी का चबुतरा, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 03220 U.P. 1999SGC024928



पत्र सं०

8482

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,  
कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मंगूलाल भारद्वाज सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1195 दिनांक 03.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	02.05.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री अखिलेश भारद्वाज (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.48
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 19100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6767

8482 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर

2 श्री मंगूलाल भारद्वाज, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 670 नई बरती, बी-14 बिजनौर, जिला बिजनौर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार  
बिजनौर

बिजनौर

को प्रेषित पत्रांक  
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12254

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेश सिंह चौहान

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिचर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5236		13.04.2011
(ग)	जन्मतिथि			30.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निर्मला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9958
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20212
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			30170/- दि० 29.04.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	46980
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9958
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68342
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	78300/- दि० 29.04.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6767

12254

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्री राजेश सिंह चौहान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-138/10, राम प्रिया निवास कम्पाउण्ड, राम प्रिया रोड, प्रयाग, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज  
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 02-02-19 को स्थापित कर भुगतान प्रस्तुत करने के लिये शासन लि०

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन/PENSION CIN/032201UP/1999SGC02492B



पत्र सं०

11514

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4411	दिनांक	13.04.2009	
(ग)	जन्मतिथि			31.12.2008	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती प्रकाश लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.12.2008/01.03.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700	
(घ)	वेतन		₹		47490
(ङ)	मूल पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		14247
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6772

11514 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर
- श्रीमती प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त, लेखाकार सेवानिवृत्त पता गली नं० बी-5, म० आदर्शनगर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बिजनौर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Underolding)

पंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11511

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम सुन्दर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4440	दिनांक	11.05.2009	
(ग)	जन्मतिथि			30.01.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती कमलेश त्यागी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03-11-1953	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन		₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		9970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		20200
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		₹		68330
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6773

11511 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्मोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री श्याम सुन्दर, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता द्वारा श्री देवेन्द्र त्यागी, निकट पुलिस थाना जी०टी० रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लि०



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11519

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4948	दिनांक	13.07.2010
(ग)	जन्मतिथि			14.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती माधुरी चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-12-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		55210
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16563

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		143,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		71650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6774

11519 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा

2 श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता दितैषी कुंज, चौकी बाग बहादुर, मथुरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा मथुरा

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11587

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19.

कोषाधिकारी,  
आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अब्दुल वाहिद अंसारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिबर्षता	दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार				
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4523	10.08.2009		
(ग)	जन्मतिथि		09.03.1949		
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹		60340	
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०		
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹		68570	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6776

11587 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़

2 श्री अब्दुल वाहिद अंसारी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम ब पोस्ट अजमतगढ़, जिला आजमगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आजमगढ़

आजमगढ़

को प्रेषित पत्रांक दिनांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्रारंभ करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

A Government Undertaking

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGCD24928



पत्र सं०

8409

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, महाराजगंज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज किशोर प्रसाद

सेवानिवृत्त

उप मुख्य लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1308	दिनांक	08.02.2001	
(ग)	जन्मतिथि			18.02.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती शान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-01-1940	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				29.02.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700	
(घ)	वेतन		₹		18700
(ङ)	मूल पेंशन		₹		20142
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		3564
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		16578
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		13830

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

64 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		134,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		67250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		65212
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		61550
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		65212
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		3564
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		61648
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6777

8409 2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज

2. श्री राज किशोर प्रसाद, उप मुख्य लेखाधिकारी सेवानिवृत्त, पता वार्ड नं० 5, अशोक नगर, महाराजगंज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, महाराजगंज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13586

2014.15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

युगनन्दन पाठक

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6628	दिनांक	11-03-14	
(ग)	जन्मतिथि			10-01-54	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती रुषा पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			12.05.58	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹			66620
(ङ)	मूल पेंशन	₹			33310
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			13324
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			199861
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 33310/- दि० 30.09.19 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			19986

## (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			176,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			13324
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			74776
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			₹ 88100/- दि० 30.09.21 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6778

13586 2014.15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर।
- श्री युगनन्दन पाठक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल०आई०जी०-69, अंबतिका कालोनी, फेस-प्रथम, रामघाट रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

PENSION PLAN: UP32201UP1999SGC024428



पत्र सं०

12261

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गुलाब प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5099 दिनांक 21.12.2010
(ग)	जन्मतिथि	08.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दूइजा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹ 70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6785

12261

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
- श्री गुलाब प्रसाद, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मकान नं० एन-8/38 जी-4, सुन्दरपुर नेवादा, निकट शीतला मन्दिर, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12232 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 02-02-19  
कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री फूल सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5422	दिनांक	02.09.2011
(ग) जन्मतिथि			08.02.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900	
(घ) वेतन	₹		64,030
(ङ) मूल पेंशन	₹		32015 fn0 07-02-16 rd
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,806
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,209
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,66,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83,050
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83,050
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		12,806
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		70244 दि० 07.02.2018 तक
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6787 12232 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2 श्री फूल सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- 34-एम०आई०जी०, सेक्टर-11, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
अद्वितीय आवास



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12184

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गया प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5043	दिनांक 05.10.2010
(ग)	जन्मतिथि		10.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना सारस्वत
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		24.06.1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	83,050
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6790

12184

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री गया प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता एच०आई०जी०-47, सेक्टर-3, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11574

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र धर द्विवेदी सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पेंशनर का प्रकार	पारिवारिक
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4494 दिनांक
(ग) जन्मतिथि	13.07.2009
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	02.12.1948
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती माधुरी द्विवेदी
	21.06.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008 / 10.03.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे-(8900)
(घ) वेतन	₹ 60340
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	156600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6791

11574

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 57-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 2 श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र धर द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-153, ऐलन गंज, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज  
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्रेषित करने हेतु

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)  
प्रतिष्ठान, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12029

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नसीमुद्दीन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4918	दिनांक	31.05.2010
(ग)	जन्मतिथि			04.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सीमा बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			16.09.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	₹		62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10,022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21,058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			31080 दि० 03.04.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18,648
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		10,022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		70,628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		80650 दि० 03.04.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6794

12029

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज

2 श्री नसीमुद्दीन, सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त, पता- मकान नं० 8बी/2ए, महेबा पुर, पो० एडीकल्लल इन्स्टीट्यूट, नैनी, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति गवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 2/2/19

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
कोषागार प्रयागराज



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13105

2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6108	17.06.2013
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.02.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-(8900)
(घ)	वेतन	₹	67920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33960
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20376
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		33960/- दि० 31.03.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20376
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	88100/- दि० 31.03.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6795

13105

2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-204, सैक्टर-9, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन) लि०  
प्रेषित भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION (U.P. 1322/01/1999/SC/024928)



पत्र सं०

11524

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

6297 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, सम्मल

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4691	04.12.2009	
(ग)	जन्मतिथि			05.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹		29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6297

11524

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सम्मल

2 श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 119 मो० सुन्दर, चन्दौसी-202412

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार सम्मल को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के शापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7658

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश बिहारी माथुर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	477 दिनांक 05.06.1998
(ग)	जन्मतिथि	23.10.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लक्ष्मी माथुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.03.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 5,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 2802
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 861
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 738602- दि० 23.10.2017 से अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6801

7658

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।
2. श्री सुरेश बिहारी माथुर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-436/1, कर्मचारी नगर, नर्सरी रोड बरेली।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष संपर्क प्रेषित करें।

01/02/19

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

राजिंदर नगर, लखनऊ





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11052

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मदोही।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्र बहादुर त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3829 दिनांक 15.11.2006
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गुलाब देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16583
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6805

11052

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मदोही।
- श्री बहादुर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-20 बैंक कालोनी, निरंकारी भवन के पास, भरुहना चौराहा, मिर्जापुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार मदोही। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/1/19



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12259 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: ०२-०२-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेश दत्त शर्मा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5195	दिनांक	07१०3१2011
(ग) जन्मतिथि			11.09.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुदेश शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.10.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000	
(घ) वेतन	₹		73,880
(ङ) मूल पेंशन	₹		36,940
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14,776
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22,164
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			0
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22,164
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96,900
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		96,900
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		14,776
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		82,124
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58,140
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6806 12259 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
- श्री योगेश दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता म०नं० 30, आवास विकास कालोनी, देहरादून रोड रुड़की, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रोंक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मन्, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक ०२-०२-१९  
कोषागार सहारनपुर



# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

10971

2006-2007

उ0म0प्र0 / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या		3770 दिनांक 30.09.2006	
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गीता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.09.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		8550-13500 (5400)	
(घ)	वेतन	₹		28,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹		13870
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5122
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		8748
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8322
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2016 के अनुसार)		10 तालिका नं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		73,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		36600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		36600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5122
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		31478
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6807

10971

2006-2007

उ0म0प्र0 / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-33/17ए/21, लोहिया नगर, बलकेश्वर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सम्बन्ध में संशोधित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11045

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण गोपाल

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3796 दिनांक 16.10.2006
(ग)	जन्मतिथि		02.06.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उषा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.12.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000 ग्रेड-पे-11000
(घ)	वेतन	₹	68,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32205
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12882
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19323
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19323
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12882
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 78018/- दि० 20.11.2021 तक 90900/- दि० 21.11.2021 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6808

11045

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

2. श्री कृष्ण गोपाल, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-बी-128, बृज इन्क्लेव कालोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7783

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, नोएडा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विशेश्वर लाल मल्होत्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता  
स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1631 दिनांक 13.12.2001
(ग)	जन्मतिथि	05.05.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बृजरानी मल्होत्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.06.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिदंगत तिथि	31.05.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16,410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 76,500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45,900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6807

7783

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्मोचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
2. श्री विशेश्वर लाल मल्होत्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पत्ता-ए० 143, सेक्टर-55, नोएडा-201301।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार नोएडा को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कृत

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10407

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामचन्द्र राम यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3171 दिनांक 26.07.2005
(ग)	जन्मतिथि	10.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मेवाती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-87000/(8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2,975
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,320
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 69550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 2,975
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 66,575
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6810

10407

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।

2 श्री राम चन्द्र राम यादव, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता- ग्राम-धोरु, पोस्ट-जाफरपुर (सादर), जिला- आजमगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ ही प्रेषित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7737

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, बदायूँ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पारिवारिक पेंशनर	पारिवारिक पेंशनर
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	443 दिनांक 24.03.1998
(ग) जन्मतिथि	21.12.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.12.1939
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.1997 / 04.08.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100/(5400 ग्रेड पे)
(घ) वेतन	₹ 11,300
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7,662
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 10
(ख) निर्धारित वेतन	₹	69,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	34,500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	20,700
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 72100 का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6811

7737

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बदायूँ।
- श्रीमती सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता:- भी० जवाहर पुरी 8 ए बदायूँ। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बदायूँ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष रूप से स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
बदायूँ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7786

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
इटवा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव दत्त तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	515	दिनांक 01.08.1998
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती करुणा देवी तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1950
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6814

7786

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, इटावा।
2. श्री शिव दत्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-स्टैंट बैंक के सामने, अजीतमल, जिला-औरैया।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार इटावा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10951

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 62-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शक्ति स्वरूप शर्मा

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिर्वर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3685	दिनांक 10.08.2006
(ग)	जन्मतिथि		31.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुम शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.09.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000/ग्रेड पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6645
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	25210
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 40

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	दिनांक	तालिका नं०
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6645
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76955
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6816

10951

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी।

2. श्री शक्ति स्वरूप शर्मा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता 278/1 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झाँसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झाँसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 11400 2008-2009 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 31-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मीरजापुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीप नारायण दुबे सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6442 दिनांक 09.05.2014
(ग)	जन्मतिथि	07.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णावती दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 64,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31205
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11706
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19499
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19302
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) (3 प्रतिशत दण्ड के परवात)	₹ 81092
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11706
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 69386
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6618 11400 2008-2009 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मीरजापुर।
- श्री दीप नारायण दुबे, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-ग्राम-श्रीपट्टी पोस्ट-मवइया, जिला-मीरजापुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मीरजापुर को प्रेषित पत्राक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CLAIM 132/2017/UP1999SGC024928



पत्र सं०

11542

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, महाराजगंज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बनारसी लाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		4434	05.05.2009
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती द्रोपदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.02.46
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹		30,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹		15005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		9003
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9003
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	77,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	₹	38850
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	38850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	32848
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	23310
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6890

11542

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज

2/ श्री बनारसी लाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता ग्राम व पोस्ट करमहा, जिला महाराजगंज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार महाराजगंज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10593

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ध्रुव चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3257	दिनांक	27.09.2005
(ग)	जन्मतिथि			15.05.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मीना कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			09.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			16400-20000
(घ)	वेतन	₹		20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24179
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		2981
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21198
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		24179
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65	छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		₹	13	तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		68497
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		68497
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		2981
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		65516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6823

10593

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री ध्रुव चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-9, पुष्पोजलि गार्डन दयाल बाग, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
आगरा



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12284

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवकी नन्दन गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5477 दिनांक 20 <sup>th</sup> 10 <sup>th</sup> 2011
(ग)	जन्मतिथि	20.10.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माया देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.12.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉववा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-450-2000/37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 49,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24,550
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3,040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,510
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	24295 दि० 19.10.2008 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 65,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3,040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 62510 दि० 19.10.2010 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 65550 दि० 19.10.2010 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6826

12284

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
2. श्री देवकी नन्दन गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता म०न० 334, सेक्टर-12ए, दीनदयाल पुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष समर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमर्श

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Milk Producers' Cooperative Organisation Limited

U.P. Milk Producers' Cooperative Organisation Limited

U.P. Milk Producers' Cooperative Organisation Limited



पत्र सं०

10287

04-05

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्रा

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4467	दिनांक	18.06.2009
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुमन चन्द्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01-11-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		21880
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5120
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		16760
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		167,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		83600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		20 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 66880
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5120
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		61760
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6827

10287

04-05

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

2

श्री रमेश चन्द्रा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक पता म०न० एम०एच०-23, एच०आई०जी०, पल्लवपुरम फेज-2, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमती सुमन चन्द्रा

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

मेरठ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10616

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

04-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैय्यद साबिर अली

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3407	31.01.2006	
(ग)	जन्मतिथि		30.06.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शादाब शाबिर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.11.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000	
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4,560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	दिनांक	विवरण
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	69,550
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	69,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4,560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	64,990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6906

10616

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़
- श्री सैय्यद साबिर अली, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 4/1370 सर सैयद नगर, निकट फिरदौस अस्पताल, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 13487 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 04-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सूरज पाल सिंह चौहान सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता	
(क) पेंशन का प्रकार		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6518	दिनांक 30.07.2014
(ग) जन्मतिथि		19,906
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मधु चौहान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.08.1960
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ) वेतन	₹	65,010
(ङ) मूल पेंशन	₹	32,505
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13,002
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,503
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,503
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,600
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83,600
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	13,002
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	70,598
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50,160
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6907 13487 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।

2 श्री सूरज पाल सिंह चौहान, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता जे-44, ज्ञान सरोवर, तिकोना पार्क के पास, रामघाट रोड, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

10584

05-06

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

०५-०२-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती चन्द्रप्रमा पत्नी स्व0 भोज राज सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन	
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या	3318	दिनांक 16.11.2005
(ग) जन्मतिथि		
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्द्र प्रमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2005/27.12.2007
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ) वेतन	₹	18,400
(ङ) मूल पेंशन	₹	-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15,900
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं0
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43,260
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6412

10584

05-06

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, अलीगढ़।

2 श्रीमती चन्द्रप्रमा पत्नी स्व0 भोज राज सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता म0न0 1/624, गंगा विहार कालोनी, सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11515

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन खन्ना पत्नी स्व० श्रीनाथ सेवानिवृत्त खन्ना

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4711	दिनांक	16.12.2009	
(ग)	जन्मतिथि			01.06.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सुमन खन्ना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.12.51	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.05.2009/07.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				30170 दि० 13.05.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		18102

### (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		78300 दि० 31.05.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6818

11515 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्रीमती सुमन खन्ना पत्नी स्व० श्रीनाथ खन्ना, सहायक अभियन्ता पता 48 एच०आई०जी०, कालिन्दीपुरम ए०डी०ए० कालोनी, इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

गिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।




# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP19995GC024928



पत्र सं०

11488

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शैलेन्द्र कुमार माथुर

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5787	दिनांक	23.08.12	
(ग)	जन्मतिथि			22.02.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती शशि माथुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15-03-1951	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				28.02.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन		₹		69630
(ङ)	मूल पेंशन		₹		34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		12010
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		22805
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		22805

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		12010
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		79340
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6920

11488 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2 श्री शैलेन्द्र कुमार माथुर, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 19 अदन बाग, एक्सटेंशन दयाल बाग, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा आगरा

को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10586

05-06

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3393 दिनांक 24.12.2006
(ग)	जन्मतिथि	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन वशिष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	13.09.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त / दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3,040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 69,550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 3,040
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 66,510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) / (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6921

10586

05-06

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 2 श्री राजेन्द्र कुमार वशिष्ठ, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 27 सुरुचिपुरम कालोनी, शास्त्रीपुरम रोड, सिकन्दरा, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10585

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भोला नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3272	दिनांक 30.09.2005	
(ग)	जन्मतिथि			
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती उमा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000	GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23,927
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		2,994
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20,933
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14,356
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		68,497
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		65,550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		68,497
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		2,994
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		65,503
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6922

10585

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, जौनपुर।

2 श्री भोला नाथ सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता एस-19, जदीद बाजार, नदेसर, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिगवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

*(Signature)*  
3/2/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पंशन ट्रान्जिशन सी० ०३२२०१०८१९९९५००२४९२८



पत्र सं०

12223

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5400	19-08-2011
(ग)	जन्मतिथि			10.10.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती कमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			01.01.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹		50,390
(ङ)	मूल पेंशन	₹		25195
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		15117
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 25195/- दि० 09.10.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15117
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		50183
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 65300/- दि० 09.10.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		अग्रतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6723

12223

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद।
- श्री सुरेश चन्द्रा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-निकट सरस्वती शिशु मन्दिर, मोहल्ला अली खॉं, काशीपुर (उधम सिंह नगर), उत्तरांचल।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के माध्यम सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11510

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4643	दिनांक	09.11.2009	
(ग)	जन्मतिथि			12.03.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती कमलेश सागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-03-1952	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन		₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		9970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		20200
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		68330
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6770

11510 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2 श्री राम चन्द्र, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०० सराय काजी, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,  
मुरादाबाद

मुरादाबाद

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

12258

10-11

उ0म0प्र0 / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय पाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशारी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	5292	27.05.2011	
(ग)	जन्मतिथि			25.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गंगो देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.12.1968
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-8900 GP. 64030	
(घ)	वेतन	₹		64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32015 दि0 24.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि0 24.07.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6282

12258

10-11

उ0म0प्र0 / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय पुरीक्षण, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, मुरादाबाद

2. श्री विजय पाल सिंह, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त अभियन्ता, प्रता-निकट महीलाल पब्लिक स्कूल (अमृत नर्सिंग होम के सामने), मौ0 खुशहाल पट्टा, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट: उ0प्र0पा0क0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विजय पाल सिंह

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

राजिद बजार, लखनऊ





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: 052201UP1989SGC024928



पत्र सं०

12240

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, रामपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5161	दिनांक	14.02.2011
(ग)	जन्मतिथि			21.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सीमा अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			11.03.60
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	63050 दि० 01.01.16 से 20.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6821

12240

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिघमॉयल विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर

2 श्री सुरेन्द्र कुमार अरोरा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता द्वारा श्री रोहित मिगलानी, ई-16 पहली मंजिल, मोती नगर, दिल्ली

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

रामपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CINI: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6191

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	225	18.02.1997
(ग)	जन्मतिथि		लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अफसरी बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.05.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		15.04.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	3,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4155
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		08 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	66.000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	19800
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	20 प्रतिशत अतिरिक्त दि० 02.05.2016 ₹० 23760/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6924

6191

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, बाराणसी।
- श्रीमती अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता- डी-50/24 काजीपुरा कला, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN/132201UP/1999SGC024928



पत्र सं०

10614

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार सिंघल

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3321	दिनांक	17.11.2005	
(ग)	जन्मतिथि			17.08.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.08.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन		₹		22400
(ङ)	मूल पेंशन		₹		26936
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		4099
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		22837
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			65 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		81150
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		79921
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		79921
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		4099
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		₹		75822
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6927

10614 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिस्मिन् निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2. श्री अरविन्द कुमार सिंघल, उपमहाप्रबन्धक सेवानिवृत्त पता 54 विकास विहार, नई मोहनपुरी, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक

करे।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11482

08-09

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4957 दिनांक 24.07.2010
(ग)	जन्मतिथि	27.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पूनम सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.71
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.01.2009 / 27.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 69.630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त (34815-1741) 33074 दि० 26.01.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182.700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त (91350-4568) 86782 दि० 26.01.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6946

11482

08-09

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिसायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

2 श्रीमती पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता पता म०न० 1310, धारा रोड, फैजाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8030

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल नन्द भटनागर

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिदर्थता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	934 दिनांक 11.02.2000
(ग)	जन्मतिथि	16.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संध्या भटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड-पे-(8700)
(घ)	वेतन	₹ 14,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17812
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	51 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 47562
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6959

8030

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2 श्री गोपाल नन्द भटनागर, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-14ए, कटघर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10119

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2827	18.10.2004
(ग)	जन्मतिथि		20.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दु शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.03.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		08.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	8,11,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81,150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	77150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48,690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6967

10119

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणोत्तर बिद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त, अधिशाली अभियन्ता, पता 1151-ए, रान लाल नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र०-पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०-सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12278

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

21/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम सेवानिवृत्त

जमादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5103	दिनांक	23.12.2010	
(ग)	जन्मतिथि			24.06.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती जैराजी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10.10.52	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2010/23.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			9300-34800 ग्रेड पे 4200	
(घ)	वेतन	₹			19300
(ङ)	मूल पेंशन	₹			9650
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			3356
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			6294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				9650 दि० 23.06.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			5790
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			50,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			25450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			25450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			लागू नहीं
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			25450 दि० 23.06.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			15270 दि० 24.06.17 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6768

12278 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्रीमती जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम, जमादार पता ग्राम-दुबाही, पोस्ट-मऊ आइमा, जिला इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12277

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/18

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया प्रसाद जायसवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5155	दिनांक	05.02.2011
(ग)	जन्मतिथि			07.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अहिल्या देवी जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01-07-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन		₹	64030
(ङ)	मूल पेंशन		₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32015 दि० 06.09.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन		₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	83050 दि० 06.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०-

6769

12277 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर
- 2 श्री कन्हैया प्रसाद जायसवाल, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 717 एच-चन्द्र विहार, राप्ती नगर, पो० आरोग्य मन्दिर, जनपद गोरखपुर-273003  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

न०





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12779

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5667	दिनांक	21.04.2012
(ग)	जन्मतिथि			01.03.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती विद्या पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			27.04.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			29.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32980/- दि० 29.02.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550/- दि० 29.02.2019 तक	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6771

12779

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

लेखाधिकारी (पेंशन)

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।

2 श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-द्वारा एरा०के० भाटिया, बी-2 पावर हाउस कालोनी, मोहददीपुर गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक दिनांक को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024926



पत्र सं०

11517

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल चन्द्र

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिदर्भता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4888	दिनांक	13.05.2010
(ग)	जन्मतिथि			07.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती आशा लेखवानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			12-10-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		68990
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34495
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13126
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21369
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20697

## (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		177,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		88700
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13126
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		75574
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6775

11517 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री लाल चन्द्र, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सेवानिवृत्त पता जे-151 आशियाना, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्राक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11584

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी

सेवानिवृत्त

सुस्था प्रहरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिदर्थता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4476 दिनांक 29.06.2009
(ग)	जन्मतिथि	02.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दीपा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	9300-34800/(ग्रेड पे 4200)
(घ)	वेतन	₹ 15,990
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 7995
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3070
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 4925
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4797
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:

क्र.सं.	विवरण	तालिका नं० 6 (सी)
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 41,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 20700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 20700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3070
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 17630
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 12420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्ररतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6279

11584

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त सुस्था प्रहरी, पता-मकान नं० 39 192-या शक्ति नगर, पोस्ट रामनगर, मिश्रानगर (इन्दिरा नगर), लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथैक साथैक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

आदर्श कोषागार, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928



पत्र सं०

10000

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लल्लू

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2979 दिनांक 19.01.2005
(ग)	जन्मतिथि	19.12.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600/9300-34800 (4200)
(घ)	वेतन	₹ 6,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 7500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1238
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6262
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4510
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 42,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 21300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 21300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1238
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 20062
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 12780
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6730

10000

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री लल्लू, सेवानिवृत्त चपरासी, पता:-आनन्द लोक कालोनी, सिमरा गाँव के पास, चिनहट, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पत्ति का विवरण मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12111

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5072	10.11.2010
(ग)	जन्मतिथि		09.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.03.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेडपे 8900	
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 से 08.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 से 08.07.2017
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6284

12111

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

2. श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-111, ग्रीन सिटी सेंट जोसेफ स्कूल के समीप, गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited

(Uttar Pradesh Government Undertaking)

पं. नं. 1/2011/9985/GC02/4328



पत्र सं०

12826

12-13

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिरुद्ध सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5953 दिनांक 21.01.2013
(ग)	जन्मतिथि	31.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्दा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-07-1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14344
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	35860 दि० 30.07.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14344
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 79756
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 94100 दि० 30.07.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6788

12826

12-13

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री अनिरुद्ध सिंह, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता: 1/78 विक्रान्त खण्ड, निकट विजयीपुर गॉव, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

शक्ति भवन, लखनऊ




# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION No. 10/22011P/1999SCD/24/28



पत्र सं०

12260

10-11

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पारस नाथ दुबे

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5092 दिनांक 30.11.2010
(ग)	जन्मतिथि	03.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन्तला दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹ 19,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3912
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6028
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5964
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6ए तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	₹ 26200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3912
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाय	₹ 22266
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 15720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6784

12260

10-11

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री पारस नाथ दुबे, चपरासी सेवानिवृत्त पता राम बिहार कालोनी, पारा, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिपलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11530

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4985 दिनांक 12.08.2010
(ग)	जन्मतिथि	10.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशी बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/ग्रेड पे (B900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	27605/दिनांक 09.02.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 71650/दिनांक 09.02.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ अग्रतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6786

11530

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-7, नंदिनी बिहार, सेक्टर-12, इंदिरानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

अभिलेख, लखनऊ





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13191

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम कुमार कोहली

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6239	दिनांक 26.09.2013
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती स्नेह लता कोहली
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.02.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15,400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23,100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38500 दि० 05.07.2018
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23,100
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	99,800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15,400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	84,400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 05.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59,880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6788

13191

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिमिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०स, गाजियाबाद।

2 श्री श्याम कुमार कोहली, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- ए-134, रामप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद-201011

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

30/01/2019



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 11846 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामपति सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5489	दिनांक	03.11.2011
(ग) जन्मतिथि			01.10.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चन्द्रावती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.09.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP.	10000
(घ) वेतन	₹		71,720
(ङ) मूल पेंशन	₹	2 प्रति० दण्ड के पश्चात	₹ 35143
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,432
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22,711
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21,516
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,88,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94,100
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	2 प्रति० दण्ड के पश्चात	₹ 92218
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		12,432
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		79,786
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		56,460
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6789 11846 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर
2. श्री रामपति सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता- 463/सी (राम जानकी नगर), वशाारतपुर, पश्चिमी गोरखपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11576

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2.2.19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० नजमुल हसन सिद्दीकी सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4547	29.08.2009
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ)	वेतन	₹	63110
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31555
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11490
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20065
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11490
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	69660
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में मूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6792

11576

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री मो० नजमुल हसन सिद्दीकी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता- नुजहत मजिल 631/105, इन्साफ नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ  
कोषागार,  
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक  
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्यक  
कुषागार

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 11009 06-07 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुभाष चन्द्र गोयल सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3885	दिनांक	23.12.2006
(ग)	जन्मतिथि			28.09.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अर्चना गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.09.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹		65,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11,958
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20,857
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19,689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		86,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		86,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11,958
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹		74,142
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51,660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आभणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6793 11009 06-07 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री सुभाष चन्द्र गोयल, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता- 557 मानस इन्क्लेव कालोनी, फरीदीनगर, पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13025

12-13

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रज्जन लाल

सेवानिवृत्त

संयुक्त सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिबर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5930	
(ग)	जन्मतिथि			09.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पद्मा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000/(8900)
(घ)	वेतन	₹		66,260
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33,130
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13,252
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,878
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			33130/दिनांक 08.09.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19,878
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		85,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13,252
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		72,298
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		85550/दिनांक 08.09.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6798

13025

12-13

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री रज्जन लाल, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, पता-2 सी० 37, वृन्दावन योजना, फेस द्वितीय (डे-एल कालेज के पीछे), सयबरेली रोड, लखनऊ-226004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12138

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

12/12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पुरुषोत्तम राम यादव

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4983 दिनांक 11.08.10
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सोनिया यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02-07-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹ 32,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 16400 दि० 30.06.15 तक
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9840
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16400
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9840
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 84,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 42450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 42450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 35890
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25470
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6297

12138

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री पुरुषोत्तम राम यादव, सहायक लेखाकार सेवानिवृत्त पता ए-1329/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

30



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7785

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला मिश्रा पत्नी स्व० बंदी मिश्रा सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	437 दिनांक 09.03.1998
(ग) जन्मतिथि	01.01.1938
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	9300-34800(4200)
(घ) वेतन	₹ 2,690
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4146
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 (ए) तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 55,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 27800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 27800
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 16680
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6800

7785

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।
2. श्रीमती कमला मिश्रा पत्नी स्व० बंदी मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-371, कैलाश विहार आवास विकास, कल्याणपुर कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्यक रूप से प्रेषित कर

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7755

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अबुल हसन अंसारी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		718 दिनांक 06.07.1999
(ग)	जन्मतिथि		27.06.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती जाहिरा हसन अंसारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 74250 का	₹	14850/- दि० 27.06.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6802

7755

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री अबुल हसन अंसारी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-म०न०-215, म०० कजियास, जनपद-सीतापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्राक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7690

97-98

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश पारिवारिक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	316	दिनांक 11-08-1997
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रभा चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.01.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1997 / 05.10.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड प्रे० 8900)	
(घ)	वेतन		16,850
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) तालिका संख्या 13

(ख) निर्धारित वेतन 1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन 0

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार 65,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 39330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6809

7690

97-98

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी से०नि० लेखाधिकारी पता म०न० 06 लक्ष्मण पुरी कालोनी फौजाबाद रोड लखनऊ

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2/2/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12753

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय प्रकाश नारायण

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5689	दिनांक 11.05.2012
(ग)	जन्मतिथि		10.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमित्रा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6812-

12753

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।
- श्री जय प्रकाश नारायण, सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त, पता-म०न०-550 गंगानगर, पो०आ० आरोग्य मन्दिर, जनपद गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8494

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम केवल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार		1227 दिनांक 25.11.2000	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या			
(ग)	जन्मतिथि			09.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सावित्री
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3348
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		24002
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3348
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	73152/- दि० 24.02.2016 तक 76500/- दि० 25.02.2016 से अग्रेतर	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6815

8494

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।
- श्री राम केवल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-14-आर सर्वोदय नगर निकट अगहा बागा मन्दिर, पो० शिवपुरी, न्यू कालोनी, गोरखपुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सापेक्षित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

01/02/19  
गीता मिश्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
गोरखपुर, उ०प्र०



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/N: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11513

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बाल कृष्ण भट्ट

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4445	दिनांक 18.05.2009	
(ग)	जन्मतिथि		10.03.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ज्योति भट्ट
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08-03-1961	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000	
(घ)	वेतन	₹		77510
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38755
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15050
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		62460
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23253
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		204,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		102350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		102350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15050
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		87300
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		61410
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6819

11513 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री बाल कृष्ण भट्ट, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त पता 16/273 इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(Public Sector Undertaking)



पत्र सं०

12846

12-13

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5975	08.02.13	
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		67,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13588
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20382
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

## 3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		176,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		88100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13588
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74512
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6822

12846

12-13

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री महेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता आर०डी०सी०-112, राजनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थन/स्थगित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11005

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केशव प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3694	दिनांक 14-08-2006	
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000/ग्रेड पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27,605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		7,186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20,419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		71,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		71,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		7,186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64,464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6894

11005

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसाक्षी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहपदीपुर, गोरखपुर।

2 श्री केशव प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं० 64 यू शिवपुर जंगल सालिकराम, सेक्टर 3, गोरखपुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10694

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

09-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

कु० नीलम शर्मा

सेवानिवृत्त

टेलीफोन ऑपरेटर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3379 दिनांक 12.01.2006
(ग)	जन्मतिथि	30.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500
(घ)	वेतन	₹ 11,025
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 12244
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1912
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10332
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 67,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 33500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 33500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 33500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1912
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 31588
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6902

10694

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 कु० नीलम शर्मा, सेवानिवृत्त टेलीफोन ऑपरेटर, पता- 120, सराय माली खों चौक, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/1/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10643

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

08-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवषता
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवषता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3409	31.01.2006
(ग)	जन्मतिथि		03.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	69550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6903

10643

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- तृतीस-एफ०-128, नेहरू नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 10587 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: ०५-०२-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार बिजनौर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रवाला वर्मा पत्नी स्व० राम किशोर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4778	18.02.2010
(ग)	जन्मतिथि		25.04.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रवाला वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.08.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2005/07.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6904 10587 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर।

2 श्रीमती प्रवाला वर्मा पत्नी स्व० राम किशोर, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता म०न० एच०आई०जी० 48, आवास विकास कालोनी, बिजनौर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बिजनौर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 10620 05-06 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 04-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० अच्चे लाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3620	दिनांक	17.06.2006
(ग) जन्मतिथि			17,394
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शान्ती वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2005/10.04.2018
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पाँचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400	
(घ) वेतन	₹		22,400
(ङ) मूल पेंशन	₹		27,350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5,273
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22,077
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16,410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		58 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81,150
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		71,314
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72,100
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		72,100
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		5,273
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		66,827
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690 दि० 11.04.2018 से
(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6908 10620 05-06 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० अच्चे लाल वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता 110 मारुतिपुरम, फौजाबाद रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 10583 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 04-02-19  
कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बीरबल गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4260	दिनांक	12.11.2009
(ग) जन्मतिथि			04.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चॉदतारा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			27.10.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 GP. 8900	
(घ) वेतन		₹	20,000
(ङ) मूल पेंशन		₹	23,809
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	4,401
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	19,408
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	14,577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	69,550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	68,497
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	65,550
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	68,497
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	2प्रति दण्ड के पश्चात ₹ 67127
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	4,401
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	62,726
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	41,730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6909 10583 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री बीरबल गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता म०न० सी-34, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ-228025 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०म०प्र० पारिवारिक कारपोरेशन लि०

(राज्य सरकार अधीन)

U.P. Government Employees' Provident Fund Corporation Limited

U.P. Government Employees' Provident Fund Corporation Limited

U.P. Government Employees' Provident Fund Corporation Limited



पत्र सं०

11222

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2-119

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नानक चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3957	दिनांक 14.03.2007	
(ग)	जन्मतिथि			25.11.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निर्मला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹		28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		7402
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21033
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		7402
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		66398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6813.

11222

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्री नानक चन्द्र, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-8 सराय ठेरा, लाल ताताब बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र०का०लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13348

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोज कमल पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र कमल

सेवानिवृत्त

समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6302 दिनांक 20.11.2013
(ग) जन्मतिथि	12.07.1971
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज कमल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1973
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.03.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	15600-39600 ग्रेड-पे-5400
(घ) वेतन	₹ 22,280
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 11140/- दि० 27.03.2023
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6684/- दि० 28.03.2023
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	33 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 57,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 28900
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 28900
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 28900/- दि० 01.01.2016 से दि० 27.03.2023 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 17340/- दि० 28.03.2023 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6916

13348

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती सरोज कमल पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र कमल, सेवानिवृत्त, समीक्षा अधिकारी, पता-टाइप-द्वितीय/152, इन्दरलोक हाइडिल कालोनी, कृष्णानगर, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्राक दिनांक के सापेक्ष अनुसंधान कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

10/2/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10653

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, सुल्तानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3331 दिनांक 30.11.2005
(ग)	जन्मतिथि	25.01.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रीता तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.01.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	24.01.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	57 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2010 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2010 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6918

10653 05-06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर
- 2 श्रीमती रीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी, सहायक लेखाधिकारी (दिवंगत), पता 2010, करीदिया, सुल्तानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रांक

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

*(Signature)*  
29/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIRCULAR 2010/1999/CG/2/22



पत्र सं०

10606

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चौधरी अनीस उज्जमा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3254	दिनांक 26.09.05	
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती तबस्सुम अनीस
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			12-12-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			10650-15200
(घ)	वेतन	₹		15200
(ङ)	मूल पेंशन	₹		11172
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4469
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		6703
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6840
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		91,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		45550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		45550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		2 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 44639
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4469
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		40170
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		27730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6919

10606 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज
- श्री चौधरी अनीस उज्जमा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 40/18/एम०/गनेश नगर, म्यूराबाद, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करे।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(UP Government Undertaking)

PENSION PLAN U 2201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10687

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3487/4245 दिनांक 18.03.2016/29.12.2010
(ग)	जन्मतिथि	16.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 22247
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5272
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 16975
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	22247
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15188
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 71314
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5272
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 66828
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6923.

10687

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-मुहल्ला मार्ग ओवर ब्रिज के उत्तरी छोर के निकट जिला-गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष समर्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11910

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमर बहादुर सिंह सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4787	दिनांक	26.02.2010
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अमरावती देवी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20-03-1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹		31120
(ङ)	मूल पेंशन	₹		15560
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6224
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		9336
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9336
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		82,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		41200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		41200
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		41200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		6224
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		34976
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6925

11910 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री अमर बहादुर सिंह, लेखाकार सेवानिवृत्त पता ग्राम देउम परिचम, पो० लक्ष्मीकान्त गंज, जिला प्रतापगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(An Undertaking of Government of U.P.)

PENSION (CIN: U32201UP1999SGC024928)



पत्र सं०

10595

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुजफ्फरनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बालेश्वर दयाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	श्रीमती राधा रानी
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3413	02.02.2006	
(ग)	जन्मतिथि		12.06.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती राधा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23-08-1950	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300	
(घ)	वेतन	₹		17500
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		2585
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20465
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		134,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		67250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		67250
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		2585
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64665
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6926

10595 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर

2. श्री बालेश्वर दयाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 616/3 जबाहर कालोनी, पटेल नगर मुजफ्फरनगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,  
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर

को प्रेषित पत्रांक  
करें।

दिनांक

के सापेक्ष समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGCQ24928



पत्र सं०

10661

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह सेवानिवृत्त चपरसी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारि० पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3384	दिनांक	17.01.2006
(ग)	जन्मतिथि			28.12.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती नन्दा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-09-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2005 / 24.08.13
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		5300-9100	
(घ)	वेतन	₹		6300
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		4271
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6ए तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		41,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		12420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6928

10661 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह, चपरसी, पता शिवानी बिहार, सी-17, कल्याणपुर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

PENSION PLAN (S-2017/21995) (02/9/2017)



पत्र सं०

11683

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नाहिद परवीन

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4532	दिनांक	20.08.2009
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-07-09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			15600-39100 ग्रेड-पे (5400)
(घ)	वेतन	₹		31490
(ङ)	मूल पेंशन	₹		15745
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6298
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		9447
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		82,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		41200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		41200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		6298
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		34902
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6929

11683 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्रीमती नाहिद परवीन, लेखाकार सेवानिवृत्त पता बिल्डिंग नं० 195/8 फ्लैट नं० 2 जगत नारायण रोड, ग्लोब बिल्डिंग के सामने, निकट कैसरबाग बस अड्डा पुराना, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN:U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10601

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार जैन सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3508	दिनांक	29.03.2006
(ग)	जन्मतिथि			09.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुनीता जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20-01-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5949
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21401
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410

### (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

64 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		81150
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		78691
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78691
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5949
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		72742
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6930

10601 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिग्रहणी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री राकेश कुमार जैन, उपमहाप्रबन्धक सेवानिवृत्त, पता के०एफ०, कदि नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,  
गाजियाबाद

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक  
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8970

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लीला मिश्रा पत्नी स्व० चन्द्र भूषण मिश्र सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशनर	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4120	दिनांक	07.01.2018	
(ग)	जन्मतिथि			08.04.1943	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती लीला मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				06.07.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.04.2001/15.03.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाँचवा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			16400-20000 GP. 8900	
(घ)	वेतन		₹		19,100
(ङ)	मूल पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		₹		0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन		₹		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		-
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		40,500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त		₹		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6931

8970 01-02

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वय विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2 श्रीमती लीला मिश्रा पत्नी स्व० चन्द्र भूषण मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न० एन 6/2 बी 138, इन्द्रा नगर कालोनी, पो० सुन्दरपुर, बी०एच०यू०, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10619

05-06

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिश्चन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3610 दिनांक 12.06.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-525-23975
(घ)	वेतन	₹ 23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17,005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6,802
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10,203
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10,533
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 93,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 93,650
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 6,802
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 0
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 86,848
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56,190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्र आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6932

10619 05-06

05/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- 2 श्री हरिश्चन्द्र सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक सेवानिवृत्त, पता 429/3ए/3ए, शिवकुटी, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाका० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10646

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3478

दिनांक

17.03.2006

(ग) जन्मतिथि

06.01.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निशा श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

09.01.1958

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

63,710

(ङ) मूल पेंशन

₹

31,855

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

12,068

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19,787

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19,113

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,67,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

83,600

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

83,600

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)

₹

12,068

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

0

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

71,532

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

50,160

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6933

10646 05-06

05/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता 37 हाइडिल कालोनी, विवेकानन्दपुरी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

MR Verma  
29/1/19





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजी. पंजीकरण नं०: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12935

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार गोंधी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता  
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिर्वर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5863 दिनांक 12.10.2012
(ग)	जन्मतिथि	05.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मल गोंधी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.12.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 99800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6934

12935

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05/02/2019

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री अनिल कुमार गोंधी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-638/20 बसन्त बिहार पिकनिक स्पॉट रोड, फरीदीनगर, पोस्ट-सीमैप, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12454

11/12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गता प्राधिकार पत्र सं० 6239 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त  
करो हुये निर्गता।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासन-देश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में  
निर्गता आदेश सं० 777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5337	दिनांक	02/07/2011
(ग)	जन्मतिथि			
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुधा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			26.11.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14,776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22,164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22,164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		96,900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14,776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		82,124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासन-देश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6935

12454

11/12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सेवानिवृत्त, पत्र सं० 49, पटेल नगर, अलमोरा, लखनऊ 226005

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11080

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुबीर कुमार मुखर्जी

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3790	दिनांक 13.10.2006
(ग)	जन्मतिथि		17.09.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रोनोति मुखर्जी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.11.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 GP.5400
(घ)	वेतन	₹	28,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹	14,400
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5,760
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	8,640
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		-
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8,640
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	75,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	37,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	37,700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5,760
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	31,940
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22,620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6936

11080

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सुबीर कुमार मुखर्जी, लेखाकार सेवानिवृत्त, पता 112 विनय नगर, कृष्णानगर, पो० मानस नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समर्थ प्रमाणित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विनोद कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12185 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 05-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5143	दिनांक 22.01.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रमा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठौं वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹	60.400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30,200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9,730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,470
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,120
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,55,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	77,950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	77,950
(ग)(।)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	9,730
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	-
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68,220
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46,770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6437 12185 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड- प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2. श्री राकेश चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता ई०-211, सेक्टर-27, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) उ०प्र०

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3. अधिशासी अभियन्ता, देवराइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
अतिरिक्त पेंशन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)



पत्र सं०

11463

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

05-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुहम्मद अहमद

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4746 दिनांक 28.01.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शहनाज बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6938

11463

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री मुहम्मद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-1 इन्साफ नगर इन्दिरानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०



# उ०प्र० पारिवारिक पेंशन बिलो

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति)

U.P. Pensioners Welfare Fund Limited

(U.P. Government Employees Pension)

पेंशन PENSION PLAN NO. 32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12091

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुधीर गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5024	15.09.2010	
(ग)	जन्मतिथि			12.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			04.04.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 36940/-दि० 11.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

क्र.	विवरण	मूल्य	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 96900/-दि० 11.07.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6939

12091

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमाल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्री सुधीर गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिशाली अधिकारी, पता-5, गुल मोहर एन्कलेव, सम्पद लाज लेन, निकट राकेश मित्तल नर्सिंग होम, भूड, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12080 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिनन्दन राम यादव सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5031	दिनांक 27.09.2010
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राज कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.12.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8,092
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31,080
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	8,092
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72,558
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6940 12080 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
2. श्री हरिनन्दन राम यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ग्राम इटहा, पो० बडामाँव, जिला वाराणसी  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रों

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11506

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती वीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
बिहारी दास अग्रवाल

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4463 दिनांक 15.06.2009
(ग)	जन्मतिथि	07.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती वीना अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.07.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	19.11.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 60,050
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	30023 दि० 06.02.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18,015
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 78300 दि० 01.01.16 से 18.11.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46,980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6941

11506

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिमरा, वाराणसी
- श्रीमती वीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास बिहारी दास अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, पता- द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव, ई-4, एन०/180 कैलाशपुरी कालोनी, नेवादा पेट्रोल पम्प के बगल को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी

लेखाधिकारी

उ० प्र० पावर

शांति भवन





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11452

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19.

कोषाधिकारी,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहन राम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4578	14.09.2009	
(ग)	जन्मतिथि			01.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती श्यामरथी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.12.54
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹		68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाम्प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6942

11452

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
2. श्री मोहन राम, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम-सराय पकवान (प्रयागपुर), पो० केशवपुरम, जिला चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ




उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Power Corporation Limited)

PENSION CELL NO. 201UR1995/202/673



पत्र सं०

8931

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार

सेवानिवृत्त

ए०सी० मकैनिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधितर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1540 दिनांक 31.08.2001
(ग)	जन्मतिथि	14.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रीता आनन्द
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	8550-13500
(घ)	वेतन	₹ 10,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 11278
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1808
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9470
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6916
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 63,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 31650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 31650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1808
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ ₹ 29842/- दि० 29.11.2016 तक तदुपरान्त ₹ 31650/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 18990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6943

8931

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त, ए०सी० मैकैनिक, पता-50/4 पुराना ऐशबाग, लेबर, कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मदन बिहारी वर्मा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSTION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11611

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4602 दिनांक 05.10.2009
(ग)	जन्मतिथि	05.08.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जरीना खातून
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.09.56
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6942

11611

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 28/456/391, सज्जाद बाग कालोनी, दौलतगंज रोड, चौक, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 13287 13-14 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19  
कोषाधिकारी,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6274	24.10.2013	
(ग)	जन्मतिथि			07.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शशि किरन सिन्हा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.07.58
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.13
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			34980 दि० 06.07.18 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20988

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	181,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	90750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	90750 दि० 06.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6945 13287 13-14 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा वाराणसी
2. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 16/27-के-38, कुन्दन नगर कालोनी (कादीपुर) शिवपुर, वाराणसी  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12224

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5207 दिनांक 11.03.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशी कान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.52
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 31.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	13 तालिका नं०
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जायै	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 31.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6947

12224

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर

2 श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 117/1094 एम० ब्लाक, काकादेव, कानपुर नगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्राक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9550

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय: कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2268	25.06.2003	
(ग)	जन्मतिथि			15.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गोल्डी अरोड़ा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.09.63
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.03
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255 दि० 02.09.18 तक तदुपरान्त	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	69550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	66510 दि० 02.09.18 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6948

9550

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर

2 श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 16 एम-7, दबोली, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करके भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमती गोल्डी अरोड़ा

पेंशनर

कोषागार, कानपुर

दिनांक 5/2/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11763

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री घनश्याम दास

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6786 दिनांक 26.05.2015
(ग)	जन्मतिथि	25.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमलेशा सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.57
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहिया

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6949

11763

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री घनश्याम दास, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ए-77, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित रूप से भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पैन/पेंशन नं० U/2201UP/1999SGC024328



पत्र सं०

11390

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामबचन सिंह यादव

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पौ०पी०ओ० संख्या	4431 दिनांक 04.05.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रामरती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6950

11390

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री रामबचन सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एन-12/304 जे 46 शिवराजनगर महमूरगंज वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर  
भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

वाराणसी

दिनांक 5/2/19.





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पत्र सं०

13539

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विपिन बिहारी शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6568 दिनांक 05.09.2014
(ग)	जन्मतिथि	04.04.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्योति शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 34980/-दि० 03.04.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी) 10 प्रतिशत दण्ड	₹ 90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 90750/-दि० 03.04.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6951

13539

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिघमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री विपिन बिहारी शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एस०सी०-276, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।- 201002

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विपिन कुमार

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

गाजियाबाद, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1989SGC024926



पत्र सं०

11879

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कमल कुमार शर्मा सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4831 दिनांक 31.03.201
(ग)	जन्मतिथि	10.02.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.09.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹ 80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6952

11879

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री कमल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-आर-7/डी-38, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(U.P. Power Corporation Limited)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

10705

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्यारे लाल शर्मा

सेवानिवृत्त/  
दिवंगतसहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिर्वषता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3477	दिनांक	17.03.2006
(ग)	जन्मतिथि			03.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कान्ति देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24615
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5419
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19196
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66	छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		₹ 72100-10 प्रतिशत दण्ड -₹ 64890/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5419
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹		59471
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6954

10705

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री प्यारे लाल शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लैट नं० 115 सेंक्टर-6 वैशाली, पानी की टंकी के सामने, गाजियाबाद।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

5/2/19

कोषाधिकारी (पेंशन)


कोषाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6458

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक (एम) का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9879 दिनांक 18.05.1995
(ग)	जन्मतिथि	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.06.1936
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000/15600-39100 GP. 5400
(घ)	वेतन	₹ 2,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6,300
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 59,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 17,850
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 03.06.16 से 20 प्रति० अतिरिक्त रू० 3570/-प्र०म०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6955

6458

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, बिद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता 138/57, फेतहगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मादर मिश्रा

कोषाधिकारी (पेंशन)

आदर्श कोषागार लखनऊ

दिनांक 5/2/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6192

87-88

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधा गोयल पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र गोयल सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8377 दिनांक 02.03.1991
(ग)	जन्मतिथि	10.09.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28.03.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	11.07.1987
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 6,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ -
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 20प्रति० अतिरिक्त दि० 29.03.2018 से ₹० 47196/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6957

6192

87-88

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती सुधा गोयल पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता- बी-5/37, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6868

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय नारायण सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9417	दिनांक	20.09.1993
(ग)	जन्मतिथि			01.04.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शोमा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		3400-4750/15600-39100 GP. 6600	
(घ)	वेतन	₹		4,375
(ङ)	मूल पेंशन	₹		17440
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		17,440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8,723
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		40,450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		40,450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		40,450
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24,270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		दि० 01.01.16 से 31.03.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त ₹ 8090/- एवं दि० 01.04.16 से 30प्रति० अतिरिक्त ₹ 12135/- प्र०म०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6959

6868

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर
- श्री जय नारायण सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता स्व० रतन सिंह गली, मोहददीपुर (उत्तरी) गोरखपुर  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राफिा भवन, लखनऊ ।

श्री जय नारायण सिंह  
सेवानिवृत्त  
पता स्व० रतन सिंह गली  
मोहददीपुर (उत्तरी)  
गोरखपुर



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13762

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजपाल सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षिता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6905	दिनांक 07.11.2015
(ग)	जन्मतिथि		12.09.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मुन्नी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8700	
(घ)	वेतन	₹	56,740
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28370
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11348
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17022
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		28370/- दि० 11.09.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17022
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11348
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	62152
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	73500/- दि० 11.09.1922 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6960

13762

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
2. श्री राजपाल सिंह, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-म०ने०-सी-747/748, फेस-प्रथम, ट्रांस यमुना कालोनी, आगरा-282006  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/02/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० म० प्र० पा० लि०  
शक्ति भवन लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11970

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बाराबंकी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुंशी लाल बाजपेई

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4908	दिनांक 26.05.2010	
(ग)	जन्मतिथि			15.03.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुशीला बाजपेई
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.12.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड-पे (5400)	
(घ)	वेतन	₹		47,490
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23745
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9498
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		14247
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14274
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,24,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		62250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		62250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9498
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		52752
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		37350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6961

11970

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बाराबंकी।
- 2 श्री मुंशी लाल बाजपेई, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मो० सत्यप्रेमी नगर, अफीम कोठी के बगल बाराबंकी-225001।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बाराबंकी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
दिनांक 05/02/19





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9064

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम आधार चौधरी

उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिर्वर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1745 दिनांक	16.03.2002
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन	₹	21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23714 दि० 15.06.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	71637
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	68464/- दि० 15.06.2017 तक तदुपरान्त 72100/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6962

9064

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।
2. श्री राम आधार चौधरी, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक, पता-559-बी मनोहर धाम, खजान्ची चौराहा, स्पोर्ट्स कालेज रोड, पो० आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। 04/02/19

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8480

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शिप्रा मट्टाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद मट्टाचार्य सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1160 दिनांक 27.09.2000
(ग)	जन्मतिथि	20.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शिप्रा मट्टाचार्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.04.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	45 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6963

8480

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित्त एवं बजट संगठन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, पनकी, कानपुर।
2. श्रीमती शिप्रा मट्टाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद मट्टाचार्य, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-108/53, ए-1, गाँधी नगर, पी० रोड, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

10/02/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० वि० वि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10969

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शब्बीर हसन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3677 दिनांक 31.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ताहिरा हसन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.05.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/(10000)
(घ)	वेतन	₹ 57,440
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28720
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10204
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17,232
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10204
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 64,046
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6964

10969

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री शब्बीर हसन सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-532 ख/57, मेहदीटोला, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ को प्रेषित पत्रांक कोषागार,

दिनांक को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7784

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रनवीर सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	575 दिनांक 14.12.1998
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमोद कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	13.12.1997 / 29.06.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6965

7784

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
- श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रनवीर सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-1/113, लक्ष्मणपुरी बूड़, बुलन्दशहर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Corporation)

PENSION CIN: U32201UP1999SGC02432B



पत्र सं०

9204

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1903	दिनांक 20.07.2002
(ग)	जन्मतिथि		29.02.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शकुन अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.09.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000(6700)
(घ)	वेतन	₹	16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3116
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19934
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3116
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	₹० 60284/- दि० 19.10.2017 तक ₹० 63400/- दि० 20.10.2017 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6966

9204

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा,
- श्री कृष्ण कुमार अरोरा, सेवानिवृत्त सहायक अधिकारी, पता-म०न०-ई-119, सेक्टर-41, नोएडा-201301,  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर  
मुगतान प्राप्त करे।

04/02/19

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० कोषाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6268

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19,

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० त्रिवेणी प्रसाद सेवानिवृत्त व्यक्तिगत सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7272 दिनांक 01.08.2017
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.04.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1988 / 21.11.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे-4800
(घ)	वेतन	₹ 3,000
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5067
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	08 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 62,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14280 (न्यूनतम)
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6968

6268

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।

2. श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० त्रिवेणी प्रसाद, सेवानिवृत्त, व्यक्तिगत सहायक, पता- एन० 09/38 बी०-5, वैष्णो बिहार कालोनी, पटिया, पो०-बजरडीहा, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/02/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन लखनऊ